राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या : 22

बुधवार,

1 अप्रैल, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम-राम। राम-राम। नमस्कार। नमस्कार।

प्रश्न काल। श्री हीरालाल निवाई।

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा
हाथों में तख्तियां लेकर सदन कूप में प्रवेश)

अनुरोध एवं मांग

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। किसानों का भला तो कर नहीं सके कभी, 5 साल तक किसानों का कोई भला नहीं किया, अब नाटक करने के लिए आ गये। कांग्रेस पार्टी का महज एक नाटक है। यह नाटक है।

श्री हीरालाल (निवाई): प्रश्न संख्या 236.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश की विधान सभा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिजली की दरें सरकार बढ़ा चुकी है। किसान को मुआवजा नहीं दिया जा रहा उसकी फसल का। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसान के प्रति हमदर्द नहीं है। (व्यवधान) यह सोयी हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने बिजली पर चर्चा के लिए पूरा दिन रखा; कल एक दिन आपने इनकी सलाह से बिजली पर चर्चा के लिए रखा। अध्यक्ष महोदय, आपके वेश्म में जो चर्चा हुई थी कार्य सलाहकार समिति में, एक दिन पूरा आपने बिजली पर रखा और कल बिजली पर पूरे दिन भर चर्चा हुई। बिजली की चर्चा में ये भाग ले सकते थे, लेकिन उसमें तो उदासीन रहे; अपनी बात को तर्क से कह सकते थे। कल दिन भर की चर्चा बिजली पर थी लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं बिजली पर किसी प्रकार की चर्चा न करें...(व्यवधान) कल आपको मौका था, प्रतिपक्ष के नेता, आप चाहते तो कल अपनी चर्चा रख सकते थे...(व्यवधान) लेकिन यह दुर्भाग्य राजस्थान की जनता के लिए है कि प्रतिपक्ष का नेता बिजली पर चर्चा में भाग नहीं ले और आज आकर तख्तियां दिखाते हैं! इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान की जनता के लिए और कुछ नहीं होगा। ये घड़ियाली आंसू इतने दिन बाद बहाने से कुछ होने वाला नहीं है। दिन भर चर्चा हुई थी...(व्यवधान) पूरा दिन मिला था चर्चा करने के लिए, तब मौन क्यों बैठे हुए थे? चर्चा में भाग क्यों नहीं लिया? प्रतिपक्ष के नेता ने क्यों नहीं अपनी बात को रखा? आज आप ये तख्तियां लेकर आ गये, मैं सोचता हूं, यह समय का अपव्यय है। यह दुर्भाग्य है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज के प्रश्नकाल के अन्दर पहला सवाल आपदा प्रबन्धन और सहायता से संबंधित है। ये प्रतिपक्ष के लोग नहीं चाहते। यह पहला सवाल है, यह आपदा प्रबन्धन और किसान से सम्बन्धित है। ये नहीं चाहते कि सदन के अन्दर पहले सवाल के द्वारा किसान की बात आये और सरकार उत्तर दे। पहला सवाल देखो, कौन सा है? पहला सवाल यही है।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के गैरजिम्मेदाराना इस व्यवहार के प्रति मैं बहुत नाराज हूं और सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। (व्यवधान)

6 अप्रैल, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं, विपक्ष के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार से नाराज होकर।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.08 बजे सोमवार, दिनांक 6 अप्रैल 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

निवाई में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के नुकसान का मुआवजा

236. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत एक वर्ष में ओलावृष्टि शीतलहर, अतिवृष्टि से फसलों के कितने नुकसान का आकलन कहां-कहां किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में फसलों के नुकसान के लिए किस-किस किसान को कितना-कितना मुआवजा स्वीकृत किया गया? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड पीपलू की ग्राम पंचायत डोडवाडी में किसानों को फसलों के नुकसान हेतु मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत एक वर्ष में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आकलन अनुसार तहसील निवाई के 12 एवं तहसील पीपलू के 31 गांवों में 50 प्रतिशत से कम तथा तहसील पीपलू के 14 गांवों में 50 प्रतिशत व 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा पाया गया है। विवरण परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर संलग्न है। शीतलहर व अतिवृष्टि से फसल खराबा शून्य है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील पीपलू के 14 ग्रामों में 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक फसल खराबा होने के कारण 5,638 प्रभावित कृषकों को एस डी आर एफ नोर्म्स के अनुसार राशि 3,17,30,660/- रुपये का कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया गया था। नाम सहित सूची परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत डोड़वाडी में फसल खराबा 50 प्रतिशत से कम होने के कारण एस डी आर एफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान देय नहीं है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

बगरू (जयपुर) में महिला महाविद्यालय की स्थापना

237. **श्री कैलाश वर्मा** (बगरू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में वर्तमान में कितने राजकीय महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालय संचालित हैं?

(2) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र बगरू में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय महिला महाविद्यालय संचालित नहीं हैं। तथापि वर्तमान में बगरू में निजी क्षेत्र में 4 सहशिक्षा व 1 महिला महाविद्यालय संचालित हैं।

(2) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बगरू में महिला महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

डूंगरपुर में गेप सागर झील का सौन्दर्यीकरण

238. **श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित डूंगरपुर नगर में गेप सागर झील ऐतिहासिक झील है एवं उक्त झील के जल आवक मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि गत 10 वर्षों में गेप सागर झील के सौन्दर्यीकरण व रिंग रोड के लिए नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा बार-बार प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार गेप सागर झील के सौन्दर्यीकरण व रिंग रोड निर्माण सम्बन्धी कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। डूंगरपुर नगर में गेप सागर झील ऐतिहासिक झील है। उक्त झील का जल आवक मार्ग अवरुद्ध नहीं हो रहा है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर यू आई डी पी) द्वारा गेप सागर झील के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण हेतु राशि रुपये 40.22 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाकर दिनांक 29.03.2012 को भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। भारत सरकार द्वारा अभी तक परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा गेप सागर सौन्दर्यीकरण व रिंग रोड निर्माण हेतु पत्र दिनांक 01.04.2014 के द्वारा राशि रुपये 25.00 करोड़ एवं दिनांक 02.06.14 के द्वारा राशि रुपये 4.26 करोड़ के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये थे। नगर परिषद् डूंगरपुर के उक्त प्रस्तावों में तखमीना/परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रेषित नही किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाकर पत्र दिनांक 12.03.15 के द्वारा उक्त कार्य निजी स्रोतों एवं 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की राशि से परिषद स्तर पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

भादरा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

239. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के अनेकों पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो प्राथमिक व सामुदायिक केन्द्रवार चिकित्सकों एवं कार्मिकों के रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों में रिक्त चल रहे पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थावार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डी ए सी पी (चिकित्सकों)/विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे। विधान सभा क्षेत्र भादरा में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदों को प्रतीक्षा सूची में शेष चिकित्सकों की नियुक्ति के समय यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र भादरा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थावार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भादरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ)	1
		चिकित्सा अधिकारी	4
		नर्स श्रेणी प्रथम	2
		नर्स श्रेणी द्वितीय	4
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2
		रेडियोग्राफर	1
		सूचना सहायक	3
		लेब टैक्नीशियन	2
		सहायक रेडियोग्राफर	1
		दंत टैक्नीशियन	1
		वार्ड बाय	1

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छानीबड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1
		चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	3
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2
		सहायक रेडियोग्राफर	1
		सूचना सहायक	4
		लेब टैक्नीशियन	2
		वार्ड बाय	6
		सफाई कर्मचारी	2
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	2
		नर्स श्रेणी द्वितीय	5
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	3
		सहायक रेडियोग्राफर	2
		सूचना सहायक	1
		कनिष्ठ लिपिक	2
		वार्ड बाय	2
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांधीबड़ी	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाबडी	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
		लेब टैक्नीशियन	1
		सूचना सहायक	1
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिरानी	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजीतपुरा	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
		सूचना सहायक	1
		वार्ड बाय	1
		सफाई कम्रचारी	1
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कलाना	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
		सूचना सहायक	1
		सफाई कर्मचारी	1
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उत्तरादाबास	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		वार्ड बॉय	1
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गदरा	नर्स श्रेणी प्रथम	1
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलसीसर	नर्स श्रेणी प्रथम	1
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेठराना	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		लेब टैक्नीशियन	1
		सफाई कर्मचारी	1
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोगामेडी	नर्स श्रेणी प्रथम	1
14.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दीपलाना	नर्स श्रेणी प्रथम	1
15.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परलीका	नर्स श्रेणी प्रथम	1
16.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घेठ	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		सूचना सहायक	1
		वार्ड बाय	2
17.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरपुरा	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
		सूचना सहायक	1
		वार्ड बाय	2
18.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनूपशहर	चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
		लेब टैक्नीशियन	1
		फार्मसिस्ट	1
		सूचना सहायक	1
		वार्ड बाय	2
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिगासरी छोटी	चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
		लेब टैक्नीशियन	1
		फार्मासिस्ट	1
		सूचना सहायक	1
		वार्ड बाय	2

प्रदेश की बिजली कम्पनियों में घाटे को रोकने के उपाय

240. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अलका सिंह)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बिजली कम्पनियां वर्तमान में घाटे में चल रही हैं? यदि हां, तो घाटे का गत 10 वर्षों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त घाटे को रोकने के कोई उपाय किये गये हैं? यदि हां, तो गत 10 वर्षों में क्या उपाय किये गये व उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश की बिजली कम्पनियों के पिछले 10 वर्षों के घाटे का वर्षवार/निगमवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। बिजली कम्पनियों द्वारा घाटे को रोकने के लिए किए गए प्रयासों एवं उसके परिणामों का निगमवार विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

241. **श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर) : क्या शिक्षा राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठण्डी में ग्रामीणों द्वारा अध्यापक के अभाव में तालाबंदी की गई थी? यदि हां, तो कब?

(4) क्या तालाबंदी के उपरांत भी सरकार द्वारा उक्त विद्यालय में अध्यापकों का पदस्थापन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक पदस्थापन कर दिया जायेगा?

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर कहां-कहां पर पदस्थापित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के विद्यालयों में सीधी भर्ती से 26 एवं पदोन्नति से 152 वरिष्ठ अध्यापकों का पदस्थापन किया गया है। शेष रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव होगा।

(3) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठण्डी में अध्यापकों के अभाव में ग्रामीणों द्वारा दिनांक 18.7.2014 को तालाबंदी की गई थी।

(4) जी नहीं। तालाबन्दी के पश्चात् 2 वरिष्ठ अध्यापकों का पदस्थापन किया गया था परन्तु दोनों ही अध्यापकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने के कारण वर्तमान में 2 विषय के पद रिक्त है।

(5) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों पर एनिकटों का निर्माण

242. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या पहाड़ों से निकलने वाली नदी/नालों के पानी को रोक कर जल स्तर बढ़ाये जाने के लिए एनिकट अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रयास सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पहाड़ों से निकलने वाली नदी/नालों के पानी को रोका जाकर जल स्तर बढाये जाने हेतु एनिकट निर्माण के अतिरिक्त, मुख्य रूप से फार वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत माइक्रो सिंचाई योजना एवं चैक डैम निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जिन बेसिन में सरप्लस पानी उपलब्ध है, उन बेसिन में माइक्रो सिंचाई योजना एवं चैक डैम के 499 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। स्वीकृत कार्यों में से 177 कार्यों के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा 65 कार्य प्रारम्भ कर 36 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

परिशिष्ट-अ

PROGRESS OF WORKS UNDER FOUR WATER CONCEPT (WATER RESOURCES DEPARTMENT)

(A) MI TANKS

Upto 28.2.2015
Amount in Crores

S. No.	Basin	TYPE OF WORK	Total No. of Works for which A&F sanctioned	Amount of Financial sanction	No. of NIT/ Technical Sanction issued	No. of works for which work order has been given	No. of Works started	No. of works completed	No. of Works in progress	Works to be completed by 31.03.15	Works to be completed by 30.06.15	Expenditure incurred on completed & ongoing works upto Feb. 2015
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	CHAMBAL	Pilot	9	33.71	9	9	9	4	5	5	-	11.62
		Others	74	260.06	74	35	3	-	3	-	23	1.04
2	MAHI	Pilot	5	7.92	5	5	5	5	-	-	-	4.94
		Others	127	271.61	127	80	-	-	-	-	40	-
3	SABARMATI	Others	23	169.44	23	-	-	-	-	-	-	-
4	LUNI, SUKLI & WEST BANAS	Others	66	303.40	17	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**304**	**1046.1384**	**255**	**129**	**17**	**9**	**8**	**5**	**63**	**Rs. 17.60**

(B) CHECK DAMS

S. No.	Basin	TYPE OF WORK	Total No. of Works for which A&F sanctioned	Amount of Finan-cial sanc-tion	No. of NIT/ Techni-cal Sanc-tion issued	No. of works for which work order has been given	No. of Works started	No. of works completd	No. of Works in progress	Works to be completed by 31.03.15	Works to be completed by 30.06.15	Expenditure incurred on completed & ongoing works upto Feb. 2015
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	CHAMBAL	Pilot	31	24.46	31	31	31	17	14	14	-	11.94
		Others	7	24.38			-	-	-	-	-	-
2	MAHI	Pilot	17	13.93	17	17	17	10	7	4	3	3.40
		Others	-				-	-	-	-	-	-
3	SABARMATI	Others	86	81.12	86	-	-	-	-	-	-	-
4	LUNI, SUKLI & WEST BANAS	Others	54	39.09	46	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**195**	**182.98**	**180**	**48**	**48**	**27**	**21**	**18**	**3**	**Rs. 15.34**
	GRAND TOTAL		**499**	1229.1212**	**435**	**177**	**65**	**36**	**29**	**23**	**66**	**Rs. 32.94**

**Cost incdudes the physical cost & compensation cost

ह.
(रवि सोलंकी)
अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत, जयपुर

प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

243. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : महिला एवं बाल विकास राजय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कितने पद सृजित हैं व कितने रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में फर्जी टी सी के आधार पर कितने कर्मचारियों की नियुक्ति हुई व सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितने प्रकरण लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 54,915 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 6,204 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। जिनमें से कुल 54,585 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 5,541 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। प्रदेश में कुल 54,915 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 6,204 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय सेवा आधारित पद सृजित है। माह जनवरी, 2015 तक 53,022 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 5,437 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है तथा 893 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 767 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं। मानदेय कर्मियों का चयन एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में चयन समिति द्वारा चयन की कार्यवाही की जाती है।

(2) नियमित कर्मचारियों को टी सी के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

जैसलमेर जिले में सैंडड्यून्स भ्रमण हेतु नये रोड मैप का निर्माण

244. श्री छोटू सिंह (जैलसमेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जैसलमेर जिले में उप निदेशक के रिक्त पद को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छोटू सिंह)

(2) क्या सरकार जिले में सैंडड्यून्स भ्रमण हेतु नया रोड मैप/स्थान विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सम सैंडड्यून्स पर वाहन चलाने की अनुमति दी जाती है? यदि नहीं, तो वर्तमान में किन आदेशों से वाहन चलाकर सैंडड्यून्स की सौन्दर्यता समाप्त की जा रही है?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में उप निदेशक, पर्यटन विभाग का पद स्वीकृत नहीं है। वहां सहायक निदेशक का पद स्वीकृत है, जिसका अतिरिक्त प्रभार पर्यटक अधिकारी, जैसलमेर के पास है।

(2) पर्यटन विभाग में वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) पर्यटन विभाग द्वारा सम सैंडड्यून्स पर वाहन चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर से अपेक्षित किया गया है कि सैंडड्यून्स पर किसी प्रकार के वाहन का चालन न होने दें, जिससे सैंडड्यून्स का मौलिक स्वरूप बना रहे।

प्रदेश में पुलिस विभाग में भर्ती की योजना

245. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2013 से अब तक कांस्टेबल, पुलिस उप निरीक्षक व पुलिस उप अधीक्षक की कोई भर्ती नहीं की गई है?

(2) क्या सरकार अब उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस विभाग में वर्ष 2013 में 10,447 कांस्टेबल की नियुक्ति की गयी है। पुलिस उप निरीक्षक पद पर वर्ष 2014 में 385 तथा वर्ष 2015 में 139 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है।

(गृह मंत्री)

(2) वर्तमान में 12,178 कांस्टेबलों की भर्ती एवं पुलिस उप निरीक्षक के 49 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। वर्ष 2012-13 के लिए पुलिस उप अधीक्षकों के 46 पदों हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। वर्ष 2013-14 के लिए पुलिस उप अधीक्षकों के 24 तथा वर्ष 2014-15 के लिए 43 रिक्त पदों की अभ्यर्थना भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बायतू राजकीय महाविद्यालय (बाड़मेर) में रिक्त पद

246. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के महाविद्यालयों में प्राचार्यों तथा प्राध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो महाविद्यालय-वार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय महाविद्यालय, बायतू में लगभग सभी पद रिक्त हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, बायतू में कुल स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक 18 पदों की तुलना में 15 पद रिक्त हैं।

व्याख्याताओं के 1,118 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गई अभ्यर्थना के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 12.01.2015 को विज्ञप्ति जारी की गई है। कनिष्ठ लिपिक एवं शीघ्रलिपिक के पदों को भरने हेतु राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड को निर्दिष्ट प्रपत्र में अभ्यर्थना प्रेषित करना प्रक्रियाधीन है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, पदोन्नति एवं नियमित स्थानान्तरण के माध्यम से भी रिक्त पदों को भरना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-1

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं प्राध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

जिला बाड़मेर

क्र. सं.	नाम महाविद्यालय	प्राचार्य व प्राध्यापकों के पदों की स्थिति					
		प्राचार्य			प्राध्यापक		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	राज. महा. बाड़मेर	1	1	0	44	35	9
2	कन्या महा. बाडमेर	1	0	1	15	6	9
3	राज. महा. बालोतरा	1	0	1	15	11	4
4	कन्या महा. बालोतरा	1	1	0	15	10	5
5	राज. महा. गुढामलानी	1	0	1	7	2	5
6	राज. महा. बायतू	1	1	0	7	1	6

जिला जैसलमेर

क्र. सं.	नाम महाविद्यालय	प्राचार्य व प्राध्यापकों के पदों की स्थिति					
		प्राचार्य			प्राध्यापक		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	राज. महा. जैसलमेर	1	1	0	22	13	9
2	राज कन्या महा. जैसलमेर	1	1	0	14	7	7
3	राज. महा. पोकरण	1	1	0	14	5	9

संयुक्त निदेशक (HRD)
कालेज शिक्षा, राज., जयपुर

भिवाड़ी नगर विकास न्यास के क्षेत्र में आने वाले गांवों का विकास

247. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कितने गांव नगर विकास न्यास भिवाड़ी में आते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त गांवों में गत दो वर्षों में कितने काम स्वीकृत हुए व इनमें से कितने कार्य पूर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त गांवों में नगर विकास न्यास भिवाडी द्वारा क्या-क्या कार्य करवाये जाते हैं तथा उनके मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गांवों में वर्तमान में स्वीकृत ऐसे कितने कार्य हैं जो चालू नहीं किये गये हैं या अधूरे हैं? क्या सरकार उक्त कार्यों को पूरा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 47 राजस्व ग्राम नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के शाहजहांपुर नीमराना बहरोड़ अरबन काम्पलेक्स (जिला अलवर) के नगरीय क्षेत्र में आते हैं। विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त गांवों में गत दो वर्षो में कितने काम स्वीकृत हुए व कितने पूर्ण हुए, का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के शाहजहांपुर नीमराना बहरोड़ अरबन काम्प्लेक्स (जिला अलवर) के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों में न्यास द्वारा सामुदायिक/सार्वजनिक भवन, सी.सी./डामर/ ग्रेवल सड़कें, नालियां, चारदीवारी, रोड लाइट, श्मशान घाट व पार्कों का विकास, इत्यादि निर्माण कार्य करवाये जाते हैं। न्यास के योजना क्षेत्र में विकास कार्य हेतु योजना की आवश्यकता अनुसार कार्य स्वीकृत किये जाते हैं व गैर-योजना क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों की मांग/अनुशंसा पर मौके पर कार्य की आवश्यकता, न्यास में मौजूदा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जन हित में कार्य करवाये जाते हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) उक्त गांवों में वर्तमान में स्वीकृत ऐसे कार्य जो चालू नहीं किये गये हैं या अधूरे हैं, का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर के सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं कार्मिकों के रिक्त पद

248. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सामान्य चिकित्सालय, अलवर में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की कमी के कारण चिकित्सा व्यवस्था खराब है? यदि हां, तो रिक्त पदों की सूची मय पदनाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सामान्य चिकित्सालय, अलवर में चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रखने हेतु चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सामान्य चिकित्सालय, अलवर में कार्यरत स्टाफ द्वारा मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। स्टाफ के रिक्त पदों का पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, इत्यादि के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से, स्थानान्तरण द्वारा भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आर यू एच एस से चयनित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के समय अथवा स्थानान्तरण द्वारा भरने के प्रयास किये जायेंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति के समय अथवा स्थानान्तरण द्वारा भरने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

सामान्य चिकित्सालय, अलवर में स्टाफ के रिक्त पदों का पदवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्रम संख्या	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1
2	वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलाजी)	1
3	वरिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी)	1
4	वरिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थो)	1
5	कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थो)	1
6	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
7	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	3
8	करिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	2
9	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलाजी)	1
10	कनिष्ठ विशेषज्ञ (फोरेन्सिक मेडिसन)	1
11	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
12	चिकित्सा अधिकारी	4
13	नर्स श्रेणी प्रथम	4
14	नर्स श्रेणी द्वितीय	3
15	सहायक रेडियोग्राफर	11
16	वरिष्ठ लैब टेकनीशियन	1
17	लैब टेक्नीशियन	9
18	फिजियोथेरेपिस्ट	1
19	फार्मासिस्ट	1
20	वरिष्ठ लिपिक	1
21	केयर टेकर	2
22	वाहन चालक	1
23	दर्जी	1
24	कुक	1
25	धोबी	3
26	वार्ड बाय	18
27	सफाई कर्मचारी	14

प्रदेश में ईंधन पर वैट कम करने की योजना

249. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल-डीजल महंगा होने से जनता के साथ पैट्रोल पम्पों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा यहां से गुजरने वाले वाहन अन्य राज्यों से तेल भरवाकर आते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ईंधन पर लगने वाले वैट को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि पंजाब, हरियाणा बार्डर से सटे राजस्थान के पेट्रोल पम्प मालिक और किसान वहां से ब्लैक में पैट्रोल व डीजल के टैंकर मंगवाते हैं जिससे राज्य सरकार को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कुछ पड़ोसी राज्यों से पैट्रोल-डीजल राज्य में सस्ता है, जबकि कुछ राज्यों से महंगा है।

राज्य के भीतर प्रवेश करने वाले अथवा गुजरने वाले ट्रकों के द्वारा तेल भरवाना ट्रक संचालकों की आवश्यकता एवं सुविधा पर निर्भर करता है।

राज्य के राजस्व हितों को ध्यान मे रखते हुए पैट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट को कम करना प्रस्तावित नहीं है।

(2) सीमावर्ती राज्यों में कर दरों में भिन्नता के कारण सीमा के दोनों ओर से पेट्रोल-डीजल के अवैध आवागमन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। स्वयं के उपयोग हेतु लाए जाने वाले पेट्रोल-डीजल पर हानि का आकलन किया जाना सम्भव नहीं है। किन्तु, राज्य में पैट्रोल-डीजल के अवैध आगमन को रोकने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग की करापवंचन शाखा द्वारा माल की चैकिंग की जाती है।

प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण की नीति

250. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. राजकुमार शर्मा)

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षकों के तबादले की कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्या सरकार नई तबादला नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के अनेक जिले ऐसे हैं जहां से शिक्षकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत शिक्षकों का उनकी स्वेच्छा से गृह जिले में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक कितने शिक्षकों के स्थानान्तरण प्रतिबंधित जिलों से अन्य जिलों में किये गये हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। शिक्षकों की तबादला नीति विचाराधीन है।

(2) जी हां । स्थानान्तरण हेतु प्रतिबन्धित जिले निम्नानुसार हैं:-

1) सिरोही 2) जालौर 3) प्रतापगढ़ 4) बारां 5) बाड़मेर 6) जैसलमेर 7) बीकानेर 8) झालावाड़ 9) बांसवाड़ा 10) डूंगरपुर ।

(3) जी नहीं। प्रतिबन्धित जिलों में शिक्षकों की कमी को मध्यनजर रखते हुए स्थानान्तरण हेतु प्रतिबन्धित किये गये थे।

(4) जनवरी, 2014 के पश्चात् निम्नांकित शिक्षकों के स्थानान्तरण प्रतिबन्धित जिलों से अन्य जिलों में किये गये हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	संख्या
1.	व्याख्याता	08
2.	वरिष्ठ अध्यापक	19
3.	अन्य	02
4.	प्रारम्भिक शिक्षा में अध्यापक	01

बीसलपुर बांध से सिंचित क्षेत्र में धोरों का निर्माण

251. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अजीत सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र टोंक की टोंक व टोडारायसिंह तहसीलों के बीसलपुर बांध की आर.एम.सी. एवं एल.एम.सी. नहरों से सिंचित गांवों के कितने क्षेत्र में खेतों के पक्के धोरे व खाले कितनी राशि के अब तक निर्मित हुए हैं एवं कितने पक्के धोरे कहां-कहां निर्मित करना शेष हैं? उक्त निर्मित धोरों की गुणवत्ता की कब-कब, क्या-क्या जांच की गई और जांच में कितने अधिकारी/कर्मचारी व ठेकेदार दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त निर्मित धोरों की गारंटी अवधि क्या है? कितने क्षतिग्रस्त धोरों की मरम्मत की गई व कितने अभी तक क्षतिग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि टोंक विधान सभा क्षेत्र की टोंक व टोडारायसिंह तहसील में बीसलपुर बांध की आरएमसी नहर प्रणाली के अन्तर्गत 312 धोरे एवं एल एम सी नहर प्रणाली के अन्तर्गत 52 धोरों का निर्माण कार्य क्रमश:25106.48 हेक्टेयर एवं 3710.31 हेक्टेयर में कुल राशि 4320.66 लाख रु. व्यय कर पूर्ण किया गया है। आर एम सी नहर प्रणाली के अन्तर्गत 139 धोरों एवं एल एम सी नहर प्रणाली के अन्तर्गत 29 धोरों में निर्माण कार्य शेष है जिसका क्षेत्र 14021.40 हेक्टेयर है।

निर्मित धोरों की गुणवत्ता की जांच गुण नियंत्रण इकाई एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य स म्पादन के दौरान नियमित रूप से की गई है। गुणवत्ता जांच के अन्तर्गत मिट्‌टी की डेसिंटी, रेती/बजरी का एफ.एम, गिट्‌टी का ग्रेरडेशन, टाइल्स की फ्लेक्शुरल स्ट्रेन्थ आदि का कार्य सम्पादित किया गया है।

जांच के दौरान कोई भी अधिकारी/कर्मचारी व ठेकेदार दोषी नहीं पाये गये। इसलिये इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

(2) कार्य अनुबंध की धारा 37 के अनुसार सी ए डी के तहत धोरों की गारण्टी अवधि, धोरा निर्माण पश्चात्‌ एक वर्षाकाल अथवा 6 माह की अवधि, जो भी बाद में हो तक, होती है। सभी निर्मित धोरों को चक समितियों को सम्भलवा दिये जाने के कारण विभाग द्वारा धोरों की मरम्मत का

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

कार्य नहीं करवाया गया है क्योंकि निर्मित धोरों के मरम्मत के कार्य करने का सी ए डी विभाग के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने की योजना

252. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों को लगाया गया है? यदि हां, तो उनकी भर्ती एवं पदोन्नति के नियम क्या हैं?

(2) क्या यह सही है कि पर्यवेक्षकों के पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत योग्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भरे जाते हैं? यदि हां, तो प्रदेश में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2014 तक पदोन्नति से कितने पदों को भरा गया व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण विभागीय नार्म्स के अनुसार समय-समय पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। विभाग में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत है। इन पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998 बने हुए हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, जिसके अनुसार पर्यवेक्षकों के 75 प्रतिशत पद खुला बाजार अभ्यर्थियों से तथा 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से, नियमानुसार जो दसवीं पास एवं जिन्हें 10 वर्ष का कार्यानुभव हो, से भरे जाने का प्रावधान है।

पर्यवेक्षकों की पदोन्नति के लिए विभागीय सेवा नियमों में प्रावधान किया हुआ है जिसके अनुसार पर्यवेक्षक से वरिष्ठ पर्यवेक्षक, वरिष्ठ पर्यवेक्षक से सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहायक बाल विकास परियोजना

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

अधिकारी से बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी से उप निदेशक के पद पर पदोन्नति किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नही। पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998 बने हुए हैं, जिनके अनुसार पर्यवेक्षकों के 75 प्रतिशत पद खुला बाजार अभ्यर्थियों से तथा 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मे से, जो दसवीं पास एवं जिन्हें 10 वर्ष का कार्यानुभव हो, से भरे जाने का प्रावधान है।

जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2014 तक कुल 432 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति दी गयी।

(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद मानदेय सेवा के होने के कारण पर्यवेक्षकों का पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान विभागीय सेवा नियमों में नहीं है, अपितु पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998 बने हुए हैं, जिनके अनुसार पर्यवेक्षकों के 75 प्रतिशत पद खुला बाजार अभ्यर्थियों से तथा 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से, जो दसवीं पास एवं जिन्हें 10 वर्ष का कार्यानुभव हो, से भरे जाने का प्रावधान है।

वर्तमान में विभाग में पर्यवेक्षकों के 25 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकार्ताओं से भरे जाने वाले कोटे के रिक्त नहीं हैं। पर्यवेक्षकों के 75 प्रतिशत कोटे के 215 पदों को खुला बाजार अभ्यर्थियों से भरने के लिए विभाग के पत्र दिनांक 16-02-2015 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड, जयपुर को अर्थना भिजवाई हुई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सुमेरपुर में फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना

253. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 'सुमेरपुर' में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत फूड क्राफ्ट इंन्स्टिट्यूट आफ एजुकेशन का पर्यटन विभाग के साथ करार अभी तक नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री मदन राठौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त इंस्टिट्यूट के लिए भूमि खरीदकर सरकार ने भुगतान भी कर दिया था? यदि हां, तो राशि की उपलब्धता के बावजूद भवन निर्माण नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था के लिए कुछ कर्मचारी भी नियुक्त हैं? यदि हां, तो कब से तथा उनका वेतन किस मद से दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त संस्था में अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो वर्तमान प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, सुमेरपुर, पाली के निर्माण हेतु फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट सोसायटी, सुमेरपुर, पाली एवं कार्यकारी एजेंसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. के मध्य दिनांक 09.06.2014 को एम.ओ.यू. सम्पादित किया जा चुका है।

(2) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, सुमेरपुर, पाली के निर्माण हेतु राजकीय भूमि हेतु राशि रु. 1,75,96,356/- का भुगतान तहसीलदार, सुमेरपुर को किया गया है। उक्त संस्था हेतु भवन निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। उक्त संस्था के लिए नियुक्त कार्मिकों एवं उनके वेतन आहरण सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। भवन निर्माण नहीं होने के कारण उक्त संस्था में अध्यापन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, सुमेरपुर, पाली में नियुक्त कर्मचारियों एवं उनका वेतन आहरण सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	संख्या	नियुक्ति तिथि	वर्तमान स्थिति	वेतन भुगतान का मद
1.	विशेषाधिकारी	01	16.01.2012	फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट सोसायटी, सुमेरपुर, पाली की दिनांक 06.01.2015 को हुई तृतीय बोर्ड बैठक के निर्णय की अनुपालना में कर्मचारी का कैम्प कार्यालय राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर में किया गया।	राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर
2.	लिपिक	01 (संविदा पर)	13.02.2014	09.01.2015 के पश्चात पद रिक्त है।	उक्त दोनों पदों के लिए राशि मांग सं. 47, बजट मद 3452-पर्यटन, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय (04)-फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, सुमेरपुर को सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (आयोजना) मद वर्ष 2014-15 से वहन किया गया।
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01 (संविदा पर)	10.02.2014	09.01.2015 के पश्चात पद रिक्त है।	

प्रदेश में मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रणाली के तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

254. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के विभिन्न विभागों पर प्रभावी अंकुश व दागी अफसरों एवं कर्मचारियों को चिह्नित करने के लिये राज्य स्तर पर शुरू की गई मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रणाली कब से चालू की गई? वर्ष 2008 से जनवरी, 2015 तक उक्त प्रणाली के तहत किस-किस विभाग में कितने अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामले उजागर किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त प्रणाली के तहत बारां जिले में कितने मामले उजागर किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रणाली वर्ष 2001 से प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, ईमानदार व भ्रष्टाचार रहित बनाये रखने के लिए प्रशासनिक सचिवों विभागाध्यक्षों की सहायता के लिए प्रारम्भ की गई।

सतर्कता अधिकारियों की भूमिका एवं कर्तव्य के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 28-03-2001 (परिशिष्ट-अ) के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारियों को प्रकरण विशेष में ठोस अन्वेषण का कार्य नहीं सौंपा गया है।

(2) उपरोक्तानुसार

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

खण्डार में महाविद्यालय की स्थापना

255. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार खण्डार एवं चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर में छात्रों के उच्च अध्ययन के लिए महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्तमान में खण्डार में सह-शिक्षा का 1 निजी महाविद्यालय तथा चौथ का बरवाडा में सह-शिक्षा का 1 निजी महाविद्यालय संचालित है। तथापि,

(उच्च शिक्षा मंत्री)

निर्धारित मानदण्ड के पूर्ण होने और वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता के आधार पर खण्डार एवं चौथ का बरवाडा में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

हिण्डौन शहर में सीवरेज योजना की स्वीकृति

256. **श्रीमती राजकुमारी** (हिण्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में खारी नाले का कार्य धीमी गति से चल रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नाले का गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त नाले का कार्य अब कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि हिण्डौन शहर में सीवरेज योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) नगर परिषद हिण्डौन क्षेत्र में खारी नाले का कार्य कुछ धीमी गति से चलने के कारण, घनी आबादी क्षेत्र के मध्य स्थित होना, नाले में सदैव पानी का तेज बहाव होना, नाले तक पहुंच हेतु सड़क का सकड़ा होना तथा मौके पर नाले के कुछ स्थानों पर मकान मालिकों द्वारा नाले के बहाव क्षेत्र के ऊपर शौचालय व नाले की दीवार के चिपकते हुए मकानों का निर्माण होना, अस्थाई सब्जी मण्डी का स्थित होना, आदि हैं।

(2) नाले का निर्माण कार्य राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (राविल) के माध्यम से करवाया जा रहा है। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्य स्थल पर निर्माणकर्ता ठेकेदार को सीमेन्ट व स्टील की आपूर्ति राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (राविल) द्वारा की जाती है, तथा समय-समय पर निर्माण सामग्री के नमूने (सैम्पल) लेकर जांच प्रमाणित संस्था द्वारा की जाती है। गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत

(स्वायत शासन मंत्री)

प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल कन्टेम्प्ट पिटिशन नम्बर 500/2012 एम.एल. वशिष्ट बनाम तारा चंद मीना व अन्य के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 05.11.2014 के अनुसार एक वर्ष के अन्दर-अन्दर नाले का पटाव, आदि का कार्य पूरा किया जाना है। उक्त आदेशों की पालना में यह कार्य लगभग 8 माह में पूर्ण करवा दिया जावेगा।

(4) नगर परिषद हिण्डौन क्षेत्र में सीवरेज परियोजना की स्वीकृति हेतु परियोजना रिपोर्ट दिनांक 11.12.2014 को भारत सरकार को प्रेषित की गई थी, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है।

अलवर में मेडिकल कालेज की स्थापना

257. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जुलाई, 2014 के बजट में अलवर में स्वीकृत किये गए मेडिकल कालेज की घोषणा निरस्त कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर जिले हेतु 3 मेडिकल कालेज राज्य एवं केन्द्र सरकार से स्वीकृत किये गये हैं? उक्त मेडिकल कालेज कब-कब स्वीकृत किये गये एवं इनके निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि प्रथम चरण के लिए स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अलवर जिले हेतु स्वीकृत 3 मेडिकल कालेजों को निरस्त कर केवल एक का संचालन स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अलवर जिले में निर्माणाधीन ई. एस. आई. सी. के मेडिकल कालेज से सामान्य जनता को लाभान्वित करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बजट घोषणा निरस्त नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत अलवर जिले में मेडिकल कालेज हेतु केन्द्र सरकार के साथ दिनांक 02.07.2014 को एम.ओ.यू. किया

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

गया है। इस हेतु भूमि का चिह्नीकरण किया जाकर आबंटन किया जा चुका है। बाउंडरीवाल निर्माण के लिए राशि रु. 1.31 करोड़ स्वीकृत की गयी है।

(3) जी नहीं। विवरण बिन्दु संख्या 1 व 2 में दे दिया गया है।

(4) जी हां। ई. एस. आई. सी. मेडिकल कालेज को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया विचाराधीन है। अभी तक इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना

258. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सीमलवाड़ा में 132 के.वी. जी.एस.एस. का कार्य निर्माणाधीन है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब स्वीकृत हुआ एवं कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सीमलवाड़ा में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने की योजना को दिनांक 28.02.2013 को स्वीकृत किया गया था, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस ग्रिड सब-स्टेशन को वितीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश के उपखण्ड मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के माडल स्कूल खोलने की योजना

259. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक उपखण्ड में अंग्रेजी माध्यम के एक माडल स्कूल खोलने की योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो अब तक किन-किन उपखण्डों में ऐसे माडल स्कूल खोल दिये गये हैं और शेष में कब तक खोले जायेंगे?

(2) उक्त माडल स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए क्या नियम व शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित हैं और अब तक कितने बच्चों को प्रवेश दिया जा चुका है? क्या सरकार एस.सी., एस.टी., बी.पी.एल. एवं ओ बी सी वर्ग के गरीब बालक-बालिकाओं को प्रवेश में कोई विशेष रियायत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(श्री जोगाराम पटेल)

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणी के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2008 में इन इंटीग्रेटेड कम्प्यूटर स्कीम (आई टी सी) प्रारम्भ की गयी थी, जिसमें प्रत्येक सरकारी स्कूल में 10-10 कम्प्यूटर, एक प्रिंटर एवं एक यू पी एस लगाने का कार्य प्रथम चरण का कम्प्यूकाम कम्पनी को दिया गया था? क्या उक्त योजना के अनुसार प्रथम चरण वाले स्कूलों में कम्प्यूटर लगा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या द्वितीय-तृतीय चरण की योजना के तहत कम्प्यूटर लगाये गये हैं? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब व क्या कार्यवाही की गयी? क्या लगाये गये सभी कम्प्यूटर विधिवत कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रत्येक उपखण्ड में नहीं, अपितु राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाक्स में प्रत्येक में अंग्रेजी माध्यम का एक माडल स्कूल (वर्तमान नाम स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल) खोलने की केन्द्र प्रवर्तित योजना है। भारत सरकार से 134 माडल स्कूल स्वीकृत हुए जिनमें से 71 का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। सत्र 2014-15 में राज्य में 66 माडल विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सत्र 2015-16 से 5 नवीन माडल स्कूलों का संचालन प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 संलग्न है। स्वीकृत 134 माडल स्कूलों में से शेष 63 माडल स्कूलों का अगले तीन वर्षों में बजट उपलब्ध करवाकर निर्माण कराया जायेगा।

(2) माडल स्कूलों में प्रवेश एवं शैक्षणिक योग्यता हेतु जारी नीति का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। वर्तमान में संचालित 66 माडल स्कूलों में अब तक प्रवेश लेने वाले कुल 8,947 विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। विभिन्न वर्गों के गरीब बालक-बालिकाओं को प्रवेश (एडमीशन) में रियायत सम्बन्धित प्रावधान संलग्न परिशिष्ट-3 में अंकित है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग से, विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तथा पंचायती राज विभाग से तृतीय श्रेणी अध्यापक उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(4) जी हां। प्रथम चरण में 2,500 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. प्रारम्भ की गई थी। इनमें से 2,292 विद्यालयों में कम्प्यूकाम साफ्टवेयर लि., जयपुर द्वारा तथा 208 विद्यालयों में एड्यूकाम सोल्यूशन लि., नई दिल्ली द्वारा 10-10 कम्प्यूटर, एक प्रिन्टर व एक यू पी एस लगा दिये गये थे।

प्रथम चरण में कम्प्यूटर विधिवत संचालन की सूचना संकलित की जा रही है।

(सूचियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रामगंजमण्डी (कोटा) में खण्ड कार्यालय की स्थापना

260. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में ताकली मध्यम सिंचाई एवं पेयजल योजना निर्माणाधीन है?

(2) क्या यह सही है कि आहू, अमझार व ताकली नदियां होने से जल संसाधन की पर्याप्त संभावनाएं हैं?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त क्षेत्र जल संसाधन खण्ड कोटा के अन्तर्गत आता है तथा उपखण्ड मुख्यालय रामगंजमण्डी से 75 किमी दूर है? यदि हां, तो क्या सरकार रामगंजमण्डी उपखण्ड मुख्यालय पर जल संसाधन विभाग का पृथक से खण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। आहू, अमझार व तकली नदियों में राजस्थान के जलग्रहण क्षेत्र से औसतन 290 Mcum पानी उपलब्ध रहता है। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान में उक्त क्षेत्र जल संसाधन खण्ड, कोटा के अन्तर्गत आता है एवं उपखण्ड मुख्यालय रामगंजमण्डी से 75 किमी दूर है।

जी हां। रामगंजमण्डी मुख्यालय पर जल संसाधन खण्ड कार्यालय का सृजन किया जाना विचाराधीन है। प्रस्तावित खण्ड कार्यालय का सृजन, वर्तमान में कार्यरत खण्डों/उपखण्डों का पुनर्गठन कर, किये जाने की प्रक्रिया में है, जिसका परीक्षण कर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 'अ'

कालीसिंध नदी व आहू नदी के मिलने के स्थान पर राजस्थान के हिस्से के क्षेत्र की जल उपलब्धता 655.61 मि. घन मी. है, तथा राजस्थान में कैचमेंट एरिया 4658 वर्ग किमी है। रामगंजमण्डी तहसील से निकलने वाली आहू, अमझार व तकली नदियों का राजस्थान में कैचमेंट एरिया एवं जल की उपलब्धता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नदी का नाम	कैचमेंट एरिया (वर्ग किमी में)	जल की उपलब्धता (मि. घन मी.)
1	आहू	1739.00	243.61
2	अमझार	223.00	31.23
3	तकली	112.00	15.69
		कुल जल की उपलब्धता	290.53

वर्तमान में राजमगंजमण्डी तहसील में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है जिसकी भराव क्षमता 33.74 मि. घन मी. है, फोर वाटर कान्सेप्ट के कार्यों की भराव क्षमता 0.66 मि. घन मी. व क्षेत्र में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्मित 47 एनीकटों की कुल क्षमता 1.01 मि. घन मी. है। (विवरण परिशिष्ट–ए पर संलग्न है) इस प्रकार वर्तमान में 35.420 मि. घन मी. जल का भण्डारण किया जाना प्रस्तावित है तथा तीनों नदियों की कुल जल उपलब्धता 290.53 मि. घन मी. में से 255.11 मि. घन मी. जल तहसील से बहकर जाता है।

गोगुन्दा ब्लाक के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित सामग्री

261. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गोगुन्दा ब्लाक में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सरकार द्वारा वर्तमान में क्या-क्या पोषाहार दिया जा रहा है? उक्त केन्द्रों पर 0 से 3 वर्ष तक के लाभान्वित बालक-बालिकाओं की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गोगुन्दा ब्लाक में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आयु वर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं को

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

'बेबीमिक्स पोषाहार' तथा आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचड़ी) एवं नाश्ता (चावल मुरमुरा एवं भुना हुआ चना गुड के साथ, भुना हुआ चना एवं गुड, हलवा) उपलब्ध कराया जा रहा है। सबला योजना अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को हलवा/उपमा प्रीमिक्स पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरक पोषाहार की रेसीपी का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

आंगनबाड़ी केन्द्रवार लाभान्वितों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नीलकण्ठ महादेव (ब्यावर) को पर्यटन स्थल घोषित करने की योजना

262. **श्री शंकर सिंह** (ब्यावर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर के पास स्थित नीलकण्ठ महादेव महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, जहां पर हजारों की संख्या में ब्यावर तथा अन्य शहरों से लोग दर्शनार्थ आते हैं?

(2) क्या सरकार उक्त स्थान को पर्यटक स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ब्यावर से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर ग्राम दुर्गावास के पास प्राचीन नीलकण्ठ महादेव मंदिर स्थित है, जो धार्मिक व प्राकृतिक रूप से दर्शनीय स्थल है।

(2) पर्यटन विभाग में किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में झूलते विद्युत तारों का संधारण

335. **श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के तार नीचे झूलने से कभी भी हादसा होने की संभावना रहती है? क्या सरकार झूलते तारों को सही करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर बिजली के ट्रांसफार्मर चौराहों पर तथा गांव के बीच आबादी में लगे हुए हैं? क्या सरकार उनको वहां से हटाकर अन्य स्थान पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विद्युत लाइन सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खींची जाती है। प्राकृतिक आपदाओं (आंधी, तूफान, बरसात, भूकम्प इत्यादि) से विद्युत लाइनें ढीली हो जाती हैं जिनकी सूचना प्राप्त होने पर उन्हें तुरन्त प्रभाव से सही किया जाता है। साथ ही, समय-समय पर फीडर मेन्टीनेंस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक फीडर के ढीले तार, टेड़े व क्षतिग्रस्त पोल व आवश्यक होने पर दो खम्भों के बीच एक और खम्भा लगाकर भी ढीले व झूलते तारों को सही करने का कार्य किया जाता है। प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लाइनों का सघन सर्वे कर फीडर सुधार कार्यक्रम चालू किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत उपरोक्त कार्य प्राथमिकता पर किये जा रहे हैं।

(2) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति हेतु भिन्न-भिन्न स्थानों पर सुरक्षा के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं। कुछ स्थानों पर स्थापित ट्रांसफार्मर के आसपास निवासियों द्वारा अतिक्रमण कर स्थाई/अस्थाई निर्माण कर लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों जैसे कि सड़क का विस्तार, आदि के कारण यदि स्थापित ट्रांसफार्मरों को स्थानान्तरित करना होता है, तो इस स्थिति में ट्रांसफार्मरों को उचित स्थान पर करने की व्यवस्था सम्बन्धित संस्था (ग्राम पंचायत, नगरपालिका) द्वारा भुगतान करने पर निगम के सुपरविजन में किया जाता है।

बामनवास में जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने का कार्य

336. **श्री कुंजीलाल** (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास (सवाई माधोपुर) में गत एक वर्ष में कितने ट्रांसफार्मर कहां-कहां व कब-कब जले? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जले हुए ट्रांसफार्मरों को कितने दिन के बाद बदला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जले हुये ट्रांसफार्मरों में से कितने बदले जाने शेष हैं? इन्हें अब तक नहीं बदलने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास (सवाई माधोपुर) में गत एक वर्ष में जले एवं बदले गये ट्रांसफार्मरों का तिथि-वार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) सामान्यतया जले हुए ट्रांसफार्मरों को तीन दिवस (72 घण्टे) में बदले गये हैं।

(3) वर्तमान में बामनवास विधान सभा क्षेत्र में कोई भी जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलना शेष नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सूचना सहायकों की भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता

337. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विभाग द्वारा किन-किन कार्यों व योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में अन्तिम बार सूचना सहायकों की भर्ती कब आयोजित की गयी? क्या यह सही है कि भर्ती में नियुक्त सूचना सहायकों की योग्यता में अनियमितता पायी गयी है? यदि हां, तो प्राप्त अनियमितताओं पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत पदनामवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्मिकों की संख्या
1	तकनीकी निदेशक (TD)	2	2
2	अतिरिक्त निदेशक (AD)	7	6
3	सिस्टम एनालिस्ट (Jt. Dir)	24	16
4	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (Dy. Dir.)	158	113
5	प्रोग्रामर (Programmer)	512	297
6	सहायक प्रोग्रामर (AP)	255	173
7	सूचना सहायक (IA)	7731	4451*

(*कुल कार्यरत सूचना सहायक 4559 हैं, जिनमें से 108 विभिन्न विभागों में अन्य पदों के विरुद्ध पदस्थापित हैं)

उपरोक्त पदों का जिलेवार विवरण अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान में विभाग द्वारा संचालित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण अनुलग्नक-2 पर उपलब्ध है।

(3) विभाग द्वारा वर्ष 2013 में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। कुछ सूचना सहायकों की पात्रता अपूर्ण पाये जाने एवं जिन सूचना सहायकों के शैक्षणिक दस्तावेज सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के अनुरूप नहीं पाये गये, उनका चयन निरस्त किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भामाशाह योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि का हस्तान्तरण

338. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में भामाशाह योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में भामाशाह के लाभार्थियों को 1,500-1,500 रुपये की राशि उनके खातों में हस्तान्तरित करने के उद्देश्य से

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बैंकों में जमा करवाई गयी थी? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि कितने खाताधारकों के नाम पर किन-किन बैंकों में जमा करवाई गई थी? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि यह राशि भामाशाह लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं होने से बैंकों के ही खातों में पड़ी हुई है, जिसका लाभ आज तक बैंक उठा रहे हैं? अथवा यह राशि सरकार के कोष में हस्तांतरित हो चुकी है? यदि हां, तो बैंकों द्वारा कितनी राशि सरकार को हस्तान्तरित की गई तथा उसका कितना ब्याज सरकार को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा बैंकों में जमा राशि को वापस प्राप्त करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये व इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीयकृत पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक आफ बड़ौदा के माध्यम से भामाशाह योजना के अन्तर्गत 10,76,638 महिला लाभार्थियों के खातों में प्रति महिला 1,500-1,500 रुपये राशि रुपये 161.49 करोड़ हस्तान्तरित की गयी थी। इनमें से 10,73,689 महिलाओं के खातों हेतु राशि रुपये 161.05 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक एवं 2,949 महिलाओं के खातों हेतु राशि रुपये 0.44 करोड़ बैंक आफ बड़ौदा को हस्तान्तरित की गई थी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। बैंकों को हस्तान्तरित राशि लाभार्थियों के खातों में जमा है। इन लाभार्थियों के खातों को भामाशाह योजना-2014 के अन्तर्गत Re-active करवाया जा रहा है।

सरदारशहर के ग्राम जैतसीसर में स्वीकृत जी.एस.एस.

339. **श्री भंवरलाल** (सरदारशहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सरदार शहर में गत 5 वर्षों में जी.एस.एस. की स्वीकृति जारी हुई है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब-कब? पंचायतवार एवं ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल)

(2) क्या यह सही है कि ग्राम जैतसीसर में 33 के.वी. का जी.एस.एस. गत तीन वर्ष पूर्व स्वीकृत हो चुका है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम जैतसीसर में जी.एस.एस. के निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्राम जैतसीसर के जी.एस.एस. को शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं? उक्त विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब और कितने जी.एस.एस. कहां-कहां प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में गत 5 वर्षों में स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशन का पंचायतवार एवं ग्रामवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। ग्राम जैतसीसर में 33 केवी का सब-स्टेशन माह अगस्त, 2010 में ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के तहत स्वीकृत हुआ था। आदेश की प्रति प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। ग्राम जैतसीसर में सब-स्टेशन निर्माण हेतु भूमि आबंटन नहीं होने के कारण निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो सकी। वर्तमान में सब-स्टेशन निर्माण हेतु भूमि आबंटन श्रीमान जिला कलक्टर, चूरू के आदेश क्रमांक प.12(2)(58)/राजस्व/2013 दिनांक 21.06.2014 के द्वारा किया गया। आदेश की प्रति प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है। राजस्व अधिकारी सरदारशहर द्वारा इन्तकाल दर्ज करने की स्वीकृति पत्रांक 1956 दिनांक 28.01.2015 को जारी हुई है। आबंटित भूमि भी विवादग्रस्त है, जिसका कब्जा दिलवाने हेतु सहायक अभियन्ता (ग्रा.), सरदारशहर ने तहसील कार्यालय, सरदारशहर में दिनांक 20.2.2015 को आवेदन किया है, जिसकी प्रति प्रपत्र 'द' पर उपलब्ध है। भूमि का कब्जा प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) प्रश्न संख्या 3 के अनुसार सब-स्टेशन निर्माण हेतु आबंटित भूमि विवादग्रस्त है व इसके विलम्ब के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(5) सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कोई नया सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

अजमेर जिले में विद्युत हाइटेंशन लाइनों को भूमिगत करने की कार्य योजना

340. **श्री रामनारायण** (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में विद्युत हाईटेंशन लाइन आवासीय कालोनियों के ऊपर डली होने से कोई जन हानि हुई है? यदि हां, तो जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक कितनी जन हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्युत लाइनों को जन हित में भूमिगत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नही।

(2) विद्युत लाइनें इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के तहत सभी सुरक्षा मापदण्डों के अनुसार ही स्थापित की गई हैं, परन्तु लाइनों के नीचे व उसके समीप व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण कर निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन कर लिया गया है। विद्युत नियम-1956 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस तरह की लाइनों को सुरक्षा मापदण्डों की पूर्ति हेतु किये जाने वाले व्यय को सम्बन्धित व्यक्ति/ संस्था द्वारा वहन करने के उपरान्त ही उचित स्थान पर स्थानान्तरित/भूमिगत किया जा सकेगा।

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संचालित योजनाएं

341. **श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर) : क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेश सिंह रावत)

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनवरी, 2013 से जनवरी, 2015 तक कौन-कौनसी योजनाएं कब-कब लागू की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

प्रदेश में विभाग द्वारा जनवरी, 2013 से जनवरी, 2015 तक लागू की गईं योजनाओं का विवरण अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक-1

जनवरी, 2013 से जनवरी, 2015 तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाएं

1. राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (RSWAN) फरवरी, 2013
2. सचिवालय तथा अन्य सरकारी भवनों में वाई-फाई हाटस्पाट-अक्टूबर, 2014
3. पंचायत समिति मुख्यालय तक वीडियो कांफ्रेन्सिंग-जून, 2014
4. पंचायत समिति मुख्यालय पर राजकीय सूचनाओं के लिए टच स्क्रीन कियोस्क की स्थापना-अगस्त, 2014
5. टोल फ्री काल सेन्टर (Citizen Contact Centre)-अक्टूबर, 2013
6. परिवाद दर्ज करने हेतु राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (www.sampark.rajasthan.gov.in)-मई, 2014
7. जियोलोजिकल इंफोर्मेशन सिस्टम (GIS)-दिसम्बर, 2014
8. ई आफिस (e-office)-जून, 2014
9. विकास प्रकोष्ठ (Development call)-मई, 2014
10. राजस्थान अकाउंटेबिलिटी एशोरेन्स सिस्टम (Rajasthan Accountability Assurance System)-अगस्त, 2014
11. राज्य के 33 जिलों की नई वेबसाइट का विकास-जनवरी, 2015

प्रदेश में शीघ्रलिपिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन

342. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक व शीघ्रलिपिक के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2011 में शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया गया था? यदि हां, तो कितने पदों के लिए? विज्ञापन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और इस परीक्षा में किस-किस श्रेणी के कितने उम्मीदवार अंतिम रूप से चयनित घोषित किये गये हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त शीघ्रलिपिक पद की नियुक्ति की योग्यता व परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या निर्धारित था? क्या यह सही है कि परीक्षा में पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर की उच्च श्रेणी की योग्यता का समावेश करने व हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शीघ्रलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता के कारण आयोग को अनुसूचित जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति महिला व अनुसूचित जनजाति महिला, विकलांग श्रेणी का एक भी अभ्यर्थी आयोग को उपलब्ध नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव कर शीघ्रलिपि परीक्षा में हिन्दी या अंग्रेजी भाषा के विकल्प को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त परीक्षा में चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गयी है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गयी? यदि नहीं, तो अब कब तक पात्र सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित अर्थना के अनुसार कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड-द्वितीय) एवं शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

1) कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड-द्वितीय):-

(अ) प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(3)प्रसु/3/2012 दिनांक 4.7.2013 द्वारा अधीनस्थ विभागों हेतु लिपिक ग्रेड-द्वितीय (कनिष्ठ लिपिक) के 7,538 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना प्रेषित की गई है।

(प्रशासनिक सुधार मंत्री)

(ब) कार्मिक (ख-1) विभाग द्वारा दिनांक 19.9.2013 को शासन सचिवालय में लिपिक ग्रेड-द्वितीय (कनिष्ठ लिपिक) के रिक्त 275 पदों को भरे जाने के लिए अर्थना आयोग को प्रेषित की गई थी। पद कम रिक्त होने के कारण यह अर्थना 275 के स्थान पर 195 कर दी गई है।

(स) राजस्थान लोक सेवा आयोग में कनिष्ठ लिपिक के 33 पद विज्ञापित किये गये।

2) **शीघ्रलिपिक:-**

(अ) प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र क्रमांक प. 2(2)प्रसु/3/2002-पार्ट दिनांक 30.8.2011 द्वारा अधीनस्थ विभागों हेतु शीघ्रलिपिक के 506 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना प्रेषित की गई है। पदों में वृद्धि होने पर पत्र दिनांक 6.9.2012 द्वारा शीघ्रलिपिक के कुल 572 पदों पर भर्ती हेतु आयोग को सूचना प्रेषित की गई है।

(ब) कार्मिक (ख-1) विभाग द्वारा शासन सचिवालय में शीघ्रलिपिक के रिक्त 100 पदों को भरे जाने के लिए अर्थना आयोग को प्रेषित की गई है।

(2) जी हां । राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है, जिसमें शासन सचिवालय हेतु 100 एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु 506 पद विज्ञापित किये गये थे। पदों में वृद्धि होने पर अधीनस्थ कार्यालयों हेतु पत्र दिनांक 6.9.2012 द्वारा कुल 572 पद निर्धारित किये गये हैं।

(3) जी हां। शीघ्रलिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2011 का परिणाम दिनांक 21.10.2014 को जारी किया गया है। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

कैटेगिरी	शासन सचिवालय हेतु	अधीनस्थ विभागों हेतु
सामान्य	56	38
अनुसूचित जाति	02	-
अनुसूचित जनजाति	01	-
अन्य पिछड़ा वर्ग	16	-
कुल	75	38

(प्रशासनिक सुधार मंत्री)

(4) जी हां। शीघ्रलिपिक पद हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 5.7.2010 के अनुसार अधिसूचित योग्यता निम्न प्रकार है:-

"A. Senior Secondary from a recognised Board or its equivalent Examination,

and

B. "O" Or Higher Leval Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

or

Computer Operator and Programming Assistant (COPA)/ Date Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme.

or

Diploma in Computer Science/ Computer Applications from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government.

or

Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by the Government.

अधिसूचना दिनांक 5.7.2010 के अन्तर्गत प्रख्यापित अनुसार Scheme & Syllabus of the Competitive Examination for the post of Stenographer के पाठ्यक्रम की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) तथा विकलांग वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार है:-

कैटेगिरी	शासन सचिवालय हेतु	अधीनस्थ विभागों हेतु
अनुसूचित जाति पुरुष	02	NA
अनुसूचित जाति महिला	NA	NA
अनुसूचित जनजाति पुरुष	01	NA
अनुसूचित जनजाति महिला	NA	NA
विकलांग	NA	NA

शीघ्रलिपिक पद हेतु योग्यता व परीक्षा में हिन्दी या अंग्रेजी भाषा के विकल्प के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन/ विचाराधीन है।

(प्रशासनिक सुधार मंत्री)

(5) जी नहीं। चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सी.आई.डी. (सी.बी.) के श्वान दल के कांस्टेबलों की पदोन्नति

343. **श्री गोरधन** (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सी.आई.डी. (सी.बी.) श्वान दल में कितने कांस्टेबल अटैचमेंन्ट में कब से हैं व इसकी समय सीमा क्या है?

(2) उक्त शाखा में उप निरीक्षक एवं हैड कांस्टेबल के कितने पद रिक्त हैं व सरकार उन पर पदोन्नति टैस्ट कब से कराने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि समयबद्ध पदोन्नति नहीं होने के कारण उच्च स्तर के पद रिक्त रहते हैं? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सी.आई.डी.(सी.बी.) श्वान दल में कुल 15 कानि. (वर्ष 2006 से 3 कानि. व 2007 से 12 कानि.) अटैचमेंन्ट पर हैं। विभाग की आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जन हित में या कानूनी रूप से आवश्यकता होने की दशा में किये गये अटैचमेंन्ट की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(2) सी.आई.डी.(सी.बी.) श्वान दल में उप निरीक्षक का कोई पद रिक्त नहीं है एवं हैड कानि. के 2 पद रिक्त हैं। वर्ष 2012-13 के हैड कानि. के 1 रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं तथा वर्ष 2013-14 के 1 रिक्त पद की योग्यात्मक परीक्षा आयोजित कर पूर्ति करना प्रस्तावित है ।

(3) यह सही नहीं है कि उच्च स्तर के पद रिक्त रहते हैं। वर्तमान में सी.आई.डी.(सी.बी.) श्वान दल में स्वीकृत पुलिस निरीक्षक 01, उप निरीक्षक 01 के पदों के विरुद्ध 01 पुलिस निरीक्षक एवं 01 उप निरीक्षक पदस्थापित हैं एवं हैड कांस्टेबल के 02 रिक्त पदों के विरुद्ध दिनांक 13.03.2015 तक योग्य

(गृह मंत्री)

कानि. से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। रिक्त पदों पर पदोन्नति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लैंगिक अपराध प्रकरणों में पीड़ित बच्चों को मुआवजा

344. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत विगत 3 वर्षों में सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितने प्रकरणों में मुआवजा/प्रतिकर जारी किया गया? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अब तक कितने प्रकरणों में बच्चों को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा/प्रतिकर जारी किया गया? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय में गठित किशोर न्याय समिति/ संपूर्णा बहरूआ बनाम भारत सरकार प्रकरण में गठित समिति की विगत 3 वर्षों में कब-कब कितनी बैठकें आयोजित की गईं? उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत विगत तीन वर्षों में सरकार से प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं.	वर्ष	राज्य सरकार से प्राप्त राशि
1	2012-13	1,00,00,000/-
2	2013-14	1,43,65,000/-
3	2014-15	2,00,00,000/-

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत विगत तीन वर्षों में मुआवजा/प्रतिकर जारी किये गये प्रकरणों की संख्या का जिलेवार व वर्षवार विवरण प्रदर्श-1 के रूप में संलग्न है।

(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा/प्रतिकर जारी

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

किये गये प्रकरणों की संख्या का वर्षवार व जिलेवार विवरण प्रदर्श-2 के रूप में संलग्न है।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय में गठित किशोर न्याय समिति/ संपूर्णा बहरूआ बनाम भारत सरकार प्रकरण में पारित आदेश की पालना में विगत 3 वर्षों में आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है-

क्रम संख्या	बैठक दिनांक
01	12.09.2011
02	30.11.2011
03	02.12.2013
04	15.09.2014

इन बैठकों का बैठक कार्यवाही विवरण प्रदर्श-3 के रूप में संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम हेतु विशेष कार्य योजना

345. **श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2009 से अब तक अनेकों स्थानों पर बैंक शाखाओं, ए टी एम, आदि में लूट की घटनाएं घटित हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कब-कब व कितनी राशि की लूट हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त लूट की घटनाओं में से कितने प्रकरणों में अपराधियों को गिरफ्तार किया व कितनी-कितनी राशि की वसूली की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार प्रदेश में लूट, अपहरण, नकबजनी, वाहन चोरी, अन्य चोरियों व डकैती के अपराधों की रोकथाम हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2009 से फरवरी 2015 तक प्रदेश में 15 स्थानों पर बैंक शाखाओं व ए टी एम में लूट की घटनाएं हुई हैं। लूट की घटना कहां-कहां,

(गृह मंत्री)

कब-कब व कितनी राशि लूटी गई, का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या क्रमश: 7, 8, 9 पर अंकित है।

(2) उक्त लूट की घटनाओं में से 12 प्रकरणों में 31 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल 48,69,066 रुपये की राशि बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधियों की संख्या एवं लूटी गई राशि में से बरामद राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या क्रमश: 10 व 11 पर अंकित है।

(3) प्रदेश में लूट, अपहरण, नकबजनी, वाहन चोरी, अन्य चोरियों व डकैती के अपराधों की रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देश परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

सांगोद के थानों में दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

346. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2012 से जनवरी, 2015 तक विभिन्न तरह के अपराधों में कितनी-कितनी बढ़ोतरी हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में जनवरी, 2013 से जनवरी, 2015 तक कितनी एफ.आई.आर. किस-किस थाने में किस-किस अपराध के सम्बन्ध में दर्ज हुईं? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त एफ.आई.आर. दर्ज होने के उपरान्त क्या-क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रदेश में विभिन्न तरह के अपराधों में जनवरी, 2012 से 2013 में 14.78 प्रतिशत तथा 2013 से 2014 में 7.23 प्रतिशत की सामान्य बढ़ोतरी हुई है, जबकि माह जनवरी, 2014 से माह जनवरी, 2015 में 26.39 प्रतिशत की कमी आई है। स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अपराधों में वर्ष 2013 से 2014 में 5.42 प्रतिशत की कमी दर्ज रही है तथा माह जनवरी 2014 की तुलना में माह जनवरी, 2015 में 28.91 प्रतिशत की कमी आई है। अपराधों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में थाना सुल्तानपुर, कनवास, बपावर कलां, सांगोद, सीमलिया एवं देवली मांझी में जनवरी, 2013 से जनवरी, 2015 तक अपराधों के सम्बन्ध में दर्ज हुई एफ.आई.आर. का थानेवार शीर्षकवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त एफ.आई.आर. दर्ज होने के उपरान्त नतीजा पुलिस (चालान/एफ आर/लम्बित) का विवरण परिशिष्ट "ब" के कालम संख्या 6 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा के स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

347. **श्री कन्हैयालाल** (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उप स्वास्थ्य केन्द्रों मोर, भासू, उनियारा खुर्द, मोरला व चावण्डिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के कांटोली, किरावल, अरनिया, बावड़ी, सीतारामपुरा व अजमेरी में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के टोडारायसिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दन्त रोग चिकित्सा हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त सामग्री को उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर कोई सरकारी संस्था काम करती है? यदि हां, तो उक्त सामग्री अब कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के अन्तर्गत पंचायत समिति मालपुरा का पूर्ण एवं पंचायत समिति टोडारायसिंह का आंशिक क्षेत्र आता है। ग्रामीण

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति मालपुरा में 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं पंचायत समिति टोडारायसिंह में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। इसलिए विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में प्रश्नगत उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे क्रमोन्नत किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के ग्राम कांटोली, किरावल, सीतारामपुरा, पंचायत समिति मालपुरा एवं बावड़ी पंचायत समिति टोडारायसिंह के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

ग्राम अरनिया एवं अजमेरी पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में वर्तमान में कोई एलोपेथिक चिकित्सा संस्थान स्वीकृत नहीं है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति मालपुरा में आगामी वित्तीय वर्षो में समुचित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरण उपलब्ध कराने हेतु समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह में डेन्टल चेयर, डेन्टल एक्स-रे मशीन, इत्यादि आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(4) जी नहीं।

प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिटों की स्थापना

348. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) उक्त केन्द्रों पर इस यूनिट का सुचारु रूप से उपयोग करने के लिए कितने विशेषज्ञ डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त केन्द्रों पर माता-पिता एवं नवजात बच्चों के लिये कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त केन्द्रों पर उक्त यूनिट के प्रारम्भ से लेकर अब तक कितनी राशि व्यय की गई? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 305 चिकित्सा केन्द्रों पर न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स की स्थापना की गयी है, जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट चलाने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। उपलब्ध चिकित्सा अधिकारी को फैसिलिटी बेस्ड इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट आफ नियोनेटल एण्ड चाइल्डहुड इलनेस (एफ.आई.एम.एन.सी.आई) का प्रशिक्षण दिला कर न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट को संचालित किया जा सकता है ।

न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट को सुचारु रूप से चलाने हेतु 4 जी.एन.एम. की स्वीकृति जारी की जा चुकी है । जिन यूनिटों पर स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है वहां यूनिट का संचालन चिकित्सालय में उपलब्ध स्टाफ से ही किया जा रहा है, जिनका केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है ।

(3) राज्य में नवजात बच्चों का बर्थ एस्फैक्सीया, इन्फेक्शन, दस्त, कम वजन, पीलिया, हाईपोथर्मिया, इत्यादि से होने वाली मृत्यु से बचाव एवं उच्च चिकित्सा संस्थान पर सुरक्षित नि:शुल्क रैफरल के उद्देश्य से न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट की स्थापना की गयी है। इस यूनिट पर शिशुओं का सम्पूर्ण इलाज नि:शुल्क किया जाता है तथा उन्हें नि:शुल्क दवा एवं नि:शुल्क जांच एवं नि:शुल्क परिवहन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इन यूनिटों पर बीमार नवजात शिशुओं को स्टेबलाइज होने तक रखकर उच्च चिकित्सा संस्थान हेतु नि:शुल्क परिवहन सुविधा के साथ रैफर कर दिया जाता है। माता -पिता को पृथक से कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है ।

(4) न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट के प्रारम्भ से लेकर अब तक व्यय की गयी राशि का केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पश्चिमी राजस्थान में नेत्र रोगियों की संख्या में वृद्धि को रोकने हेतु कार्य योजना

349. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में हर वर्ष नेत्र रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो गत 10 वर्षों में प्रति वर्ष नेत्र रोगियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है व इसके मुख्य कारण क्या हैं?

(2) क्या यह सही है कि एन.जी.ओ. के स्टडी-फोर-आई प्राब्लम-इन-डेजर्ट नाम के शोध पत्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थलीय इलाका होने, प्रदूषित पानी होने, रेतीली भूमि होने व साल भर चलने वाली असंतुलित हवाओं के कारण गत 10 वर्षों में नेत्र रोगियों की संख्या में करीबन 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यदि हां, तो सरकार भविष्य में इसकी रोकथाम हेतु क्या कार्य योजना बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। पश्चिमी राजस्थान में 10 वर्षों के नेत्र रोगियों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान के एक दैनिक समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" में 17 फरवरी, 2015 को प्रकाशित, दिल्ली के एक एन जी ओ के शोध पत्र "स्टडी फार आई प्राब्लम इन डेजर्ट" सम्बन्धी समाचार आधारहीन प्रतीत होता है, क्योंकि विभागीय रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्षों में नेत्र रोगियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

विभाग द्वारा नेत्र रोगियों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित "राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम" चलाया जा रहा है, जिसमें जिला अन्धता नियंत्रण समिति में रजिस्टर्ड स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से-

- निःशुल्क मोतियाबिन्द आपरेशन,
- स्कूली बच्चों की आंखों की जांच एवं चश्मा वितरण, तथा
- आई बैंकों द्वारा नेत्र प्रत्यारोपण इत्यादि कार्य राज्य में अन्धता दर को कम करने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट 'अ'

पश्चिमी राजस्थान में 10 वर्षों का नेत्र रोगियों का जिलेवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	जोधपुर	जैसलमेर	बाड़मेर	पाली	जालौर	सिरोही	योग
2005-06	12480	1560	7451	14313	799	2787	39390
2006-07	12581	1329	7640	13755	1485	3688	40478
2007-08	17440	1388	7313	16274	1775	4058	48248
2008-09	13756	926	5142	15339	1799	3328	40290
2009-10	16974	930	7114	11549	1706	3833	42106
2010-11	15478	908	6980	12475	1373	3549	40763
2011-12	16981	1198	6748	14014	655	4472	44068
2012-13	16061	1251	7059	13550	751	4366	43038
2013-14	19507	1298	6985	2365	930	4694	35779
2014-15 (फरवरी 2015 तक)	14440	1295	6085	8842	288	4331	35281

मावली पंचायत समिति के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पद

350. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला उदयपुर की पंचायत समिति मावली में वर्तमान में कितने राजकीय चिकित्सालय किस-किस स्तर के कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के कितने-कितने पद कहां-कहां पर सृजित हैं एवं उनमें से कितने पद प्रतिनियुक्ति पर हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में वर्तमान में कितने चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी कब से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री दलीचन्द डांगी)

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार ग्राम पंचायत ईन्टाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 राजकीय सिटी डिस्पेंसरी संचालित हैं। उक्त चिकित्सा संस्थानों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति मावली के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिटी डिस्पेंसरी में चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

अराजपत्रित संवर्ग के तीन कार्मिक वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र मावली के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मी कब से कार्यरत हैं, की अवधि सहित सूचना परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(4) जी हां। चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डी ए सी पी एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची में शेष चिकित्सकों की नियुक्ति के समय यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(5) जी नहीं। ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदंड के अनुसार वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

समिति मावली में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ईन्टाली को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(सूची व सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की कार्य योजना

351. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में किन-किन परिवारों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट भाषण 2014-2015 में स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना को लागू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन आने वाले परिवारों के लाभार्थियों को राजकीय चिकित्सा संस्थानों के साथ-साथ निजी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से भी चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोलने के मानदण्ड

352. **श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नवीन ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में प्रदेश में कितने नये ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोले गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत 5 वर्षों में सरकार द्वारा बिना मानदण्डों के कुछ स्थानों पर उक्त के कार्यालय स्थापित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोले जाने के वर्तमान में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकार के द्वारा नये ब्लाकों के गठन की अधिसूचना जारी करने के उपरान्त विभाग द्वारा भी ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नये कार्यालय खोले जाने की कार्यवाही की जाती है।

(2) गत पांच वर्षों में 12 ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोले गये हैं जिनके नामों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं, राज्य सरकार के द्वारा 12 नये ब्लाकों के गठन की अधिसूचना जारी करने के उपरान्त ही राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.7.2011 के द्वारा 12 नये ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई थी।

परिशिष्ट-अ

गत पांच वर्षों में खोले गये ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों के जिलेवार नामों की सूची निम्न प्रकार है

क्र.सं.	जिले का नाम	नये खोले गये ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के नाम
1	बीकानेर	खाजूवाला
2	बून्दी	बून्दी
3	श्रीगंगानगर	घड़साना
4	प्रतापगढ़	पीपलखूंट
5	हनुमानगढ़	सांगरिया
6		पीलीबंगा
7		टीब्बी
8		रावतसर
9	जालोर	चितलवाना
10	जोधपुर	बावड़ी
11	उदयपुर	लसाडिया
12		ऋषभदेवजी

परबतसर के बागोट व बडू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

353. **श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागोट और बडू में संचालित हैं? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के गत तीन वर्षों के इनडोर व आउटडोर मरीजों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार उक्त दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मरीजों की संख्या को देखते हुए क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र परबतसर के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागोट एवं बडू के आउटडोर व इनडोर मरीजों का गत तीन वर्षों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागोट		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडू	
	आउटडोर	इंडोर	आउटडोर	इंडोर
2012	7206	883	15178	492
2013	16848	914	23030	1819
2014	12057	1813	26653	1448

(2) ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति परबतसर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागोट एवं बडू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने का ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर एवं संगरिया के राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण

354. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर एवं संगरिया में प्रस्तावित राजकीय कालेजों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर एवं संगरिया में राजकीय महाविद्यालय स्थित नहीं हैं। उक्त स्थानों पर निजी क्षेत्र में संचालित निम्नलिखित महाविद्यालय होने के कारण राजकीय महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है:-

क्रं. सं.	महाविद्यालय का नाम
1.	शहीद भगत सिंह कालेज, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
2.	महर्षि दयानन्द गर्ल्स कालेज, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
3.	परमानन्द डिग्री कालेज, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
4.	शकुन्तलम महाविद्यालय, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
5.	एम. एम. सरस्वती महाविद्यालय, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
6.	संजीवनी महाविद्यालय, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
7.	एम. आर. मेमोरियल महाविद्यालय, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
8.	श्री राम कन्या महाविद्यालय, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
9.	ज्ञान ज्योति कालेज, श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)
10.	श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
11.	महाराजा गंगा सिंह महाविद्यालय, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
12.	माता गुजरी कन्या महाविद्यालय, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
13.	चौधरी चाननराम महाविद्यालय, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
14.	मीरा गर्ल्स कालेज, संगरिया (हनुमानगढ़)
15.	स्वामी केशवानन्द महाविद्यालय ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया
16.	ग्रामोत्थान विद्यापीठ गृह विज्ञान महिला महा. संगरिया
17.	एलायन्द कॉलेज, संगरिया (हनुमानगढ़)

बायतू (बाड़मेर) में आई.टी.आई. की स्थापना

355. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड मुख्यालय बायतू में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर आई.टी.आई. के अभाव में इस क्षेत्र के युवाओं को इस शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है?

(3) क्या सरकार बायतू में आई.टी.आई. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की मंशा प्रत्येक पंचायत समिति में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की है। इसी के तहत पंचायत समिति बायतू में मुख्य मंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत दिनांक 17-12-2014 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। उपखण्ड मुख्यालय बायतू के समीप ही बाडमेर में 01 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाड़मेर एवं 06 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। इस क्षेत्र के युवाओं को इस संस्था से पूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है।

(3) जी हां। मुख्य मंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत पंचायत समिति बायतू में राजकीय आई.टी.आई. स्वीकृत कर दी गई है।

राजस्थान संस्कृत अकादमी के वेतन पर व्यय राशि

356. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान संस्कृत अकादमी में प्रतिनियुक्त पर आये कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को अल्प बजट से वेतन का भुगतान किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने के लिये कोई प्रयास कर रही है?

(श्री प्रताप सिंह)

(3) क्या यह सही है कि संस्कृत अकादमी के निदेशक पद पर प्रतिनियुक्त अधिकारी को पहली बार अकादमी के अल्प बजट से वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो किस आदेश के तहत?

(4) क्या यह सही है कि बोर्ड के बिना गठन के संस्कृत अकादमी ने लाखों रुपयों से अनेक ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किये हैं जो चित्रकारी जैसे विषयों से सम्बद्ध रहे हैं? यदि हां, तो इस कार्यक्रम में गैर-संस्कृत लोगों को व संस्कृत विद्वानों को कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान संस्कृत अकादमी में प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी कार्यरत है जिसके वेतन का भुगतान आयोजना-भिन्न मद में अतिरिक्त प्रावधान करवाया जाकर किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। अकादमियों में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् ग्रेच्यूटी एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जा रहा है।

(3) अकादमी के प्रतिनियुक्त अधिकारी को वेतन का भुगतान आयोजना-भिन्न मद में अतिरिक्त प्रावधान करवाया जाकर किया जा रहा है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत तत्कालीन पदेन अध्यक्ष के निर्देशन में गत वर्ष अकादमी द्वारा वैदिक ग्रन्थों में चित्रकला विषय पर निम्न कार्यशालाएं आयोजित की गयीं :-

क्र. सं.	विषय	गैर संस्कृत विद्वानों को मानदेय	संस्कृत विद्वानों को मानदेय
1.	वेदकला संगम कार्यशाला	5,10,000/- वेद विषयक कुल 34 चित्र, प्रति चित्रकार 15,000/-	15000/-
2.	जयपुर आर्ट फेस्टिवल	1,05,583/- (इस राशि में चित्रकारों का मानदेय, कलर व अन्य सामग्री सम्मिलित है)	

पाली के महिला महाविद्यालय में वाणिज्य व विज्ञान संकाय की स्थापना

357. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली स्थित श्रीमती गुमानी बाई पन्नालाल भंसाली महिला महाविद्यालय में वाणिज्य व विज्ञान संकाय को प्रारम्भ करने की मांग की जा रही है? यदि हां, तो इन संकायों को कब तक खोलकर अध्ययन प्रारम्भ करा दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में कुछ विषय नहीं होने के कारण अनेक छात्राओं को सहशिक्षा (को-एजुकेशन) के कारण आगे की शिक्षा छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार उक्त संकाय कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में श्रीमती गुमानी बाई पन्नालाल भंसाली महिला महाविद्यालय, पाली में वाणिज्य एवं कला संकाय वर्ष 1995 से संचालित हैं तथा निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने तथा वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धता के आधार पर विज्ञान संकाय खोला जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। पाली जिला मुख्यालय पर सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय है, जिसमें कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय संचालित हैं।

वर्तमान में पाली में श्रीमती गुमानी बाई पन्नालाल भंसाली राजकीय महिला महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय संचालित है।

पाली जिला मुख्यालय पर निजी क्षेत्र में 3 सहशिक्षा महाविद्यालय उपलब्ध हैं, जिनका संकायवार विवरण निम्नानुसार है:-

महाविद्यालय का नाम	संचालित संकाय/विषय
1. सज्जन इन्टरनेशनल महाविद्यालय, पाली	कला, वाणिज्य, कम्प्यूटर, विज्ञान
2. महावीर महाविद्यालय, पाली	कला, वाणिज्य व विज्ञान (गणित), बी सी ए
3. ब्राइट इन्टरनेशनल कालेज, पाली	कला, वाणिज्य, बी सी ए व बी बी ए

(उच्च शिक्षा मंत्री)

पाली में श्रीमती गुमानी बाई पन्नालाल भंसाली राजकीय महिला महाविद्यालय में निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता के आधार पर विज्ञान संकाय खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

सेवारामपुरा (टोंक) में आवासन मण्डल द्वारा मकान बनाने की योजना

358. **श्री अजीत सिंह (टोंक)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विधान सभा क्षेत्र टोंक में स्थित सेवारामपुरा राजस्व ग्राम की लगभग 600 बीघा भूमि अवाप्त की गई है? यदि हां, तो किस-किस काश्तकार की कौन-कौन से खसरा नम्बर की कितनी-कितनी बीघा भूमि अवाप्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अवाप्त की गई भूमि के बदले काश्तकारों को मुआवजा राशि या पच्चीस प्रतिशत भूमि दे दी गयी है? यदि हां, तो किस-किस काश्तकार को कितना मुआवजा तथा भूमि दी गयी एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवाप्त की गई भूमि का उपयोग मकान बनाकर बेचना है अथवा भूखण्ड बेचना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना के लिए अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय टोंक में खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विधान सभा क्षेत्र टोंक में स्थित सेवारामपुरा राजस्व ग्राम की 599.11 बीघा भूमि अवाप्ताधीन है। अभी तक धारा-6 की कार्यवाही की गई है। अवार्ड जारी होना शेष है। किस-किस काश्तकार की कौन-कौन से खसरा नम्बर की कितनी-कितनी बीघा भूमि अवाप्ताधीन है, की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अवाप्ताधीन भूमि का अवार्ड जारी नहीं हुआ है। खातेदारों से प्राप्त विकल्पानुसार 25 प्रतिशत भूमि विकसित भूखण्ड के रूप में या नकद मुआवजे का निर्धारण अवार्ड में किया जावेगा।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) मण्डल द्वारा उक्त योजना में नियोजन अनुसार आवासों का निर्माण कर आवेदकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) अवार्ड जारी होने तक अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। अवार्ड के बाद यदि आवश्यकता होगी, तो मण्डल हित में कार्यालय खोलने की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मुक्ति मार्ग (जयपुर) पर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही

359. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम जयपुर के मोती डूंगरी जोन के अन्तर्गत मुक्ति मार्ग पर श्मशान घाट चौराहे से कचरा बस्ती होते हुए घाटगेट तक सड़क की चौड़ाई कितनी है? नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सड़क एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाकर सरकारी भूमि से हजारों रुपये किराया वसूले जा रहे हैं तथा अतिक्रमण कर किराया वसूल रहे व्यक्तियों को निगम द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं किन-किन व्यक्तियों को? नोटिसों की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मार्ग पर अतिक्रमण कर रहे व्यक्तियों के नाम, मकान एवं दुकान का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त मार्ग को चौड़ा करने हेतु नगर निगम द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त मार्ग पर यातायात की अधिकता को देखते हुए सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नगर निगम जयपुर के मोती डूंगरी जोन के अन्तर्गत मुक्ति मार्ग पर श्मशान घाटा चौराहे से कचरा बस्ती होते हुए घाटगेट तक सड़क की चौड़ाई नगर निगम के ले- आउट प्लान के नक्शे में 60 फीट है। नक्शे की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) नगर निगम जयपुर के मोती डूंगरी जोन द्वारा उक्त मार्ग पर पूर्व में वर्ष 2000 में अतिक्रमियों का किया गया सर्वे, इनको हटाने की कार्यवाही, पुर्नवास से सम्बन्धित रिकार्ड की छायाप्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है, परन्तु वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दुकानें व आवास बना रखे हैं, जिनके सम्बन्ध में वर्ष 2000 के पश्चात कोई सर्वे, नोटिस दिया जाना और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किया जाना रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। किन-किन व्यक्तियों का कितना-कितना अतिक्रमण है, प्लेन टेबल सर्वे करवाकर ही जवाब दिया जा सकेगा। इन व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार का किराया वसूला जा रहा है। जानकारी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

(3) वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दुकानें व आवास बना रखे हैं, जिनके सम्बन्ध में वर्ष 2000 के पश्चात कोई सर्वे की कार्यवाही किया जाना रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। किन-किन व्यक्तियों का कितना-कितना अतिक्रमण है, पूर्ण विवरण प्लेन टेबल सर्वे उपरान्त ही दिया जा सकेगा।

(4) नगर निगम जयपुर के मोती डूंगरी जोन द्वारा उक्त मार्ग को चौड़ा करने हेतु अब तक की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(5) पुरानी कच्ची बस्ती होने के कारण वर्तमान की मौका स्थिति अनुसार प्लेन टेबल सर्वे करवाकर पाये जाने वाले अतिक्रमियों को हटाये जाने सम्बन्धी निर्णय लिया जा सकेगा। मामला कानून व्यवस्था का भी प्रथम दृष्टिया प्रतीत होता है। अतः इस मामले में सम्पूर्ण सर्वे पुनः करवाकर योजनाबद्ध कार्यवाही का निर्णय किया जाकर अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन के तहत कराये जा रहे कार्य

360. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन (JNNURM) कार्यरत है?

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

यदि हां, तो प्रदेश के कौन-कौन से जिलों में उक्त संस्था द्वारा कार्य किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्था में प्रदेश के कौन-कौन से सदस्य व पदाधिकारी हैं? क्या उक्त संस्थान में पदाधिकारियों व सदस्यों का नवीनीकरण भी किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो अन्तिम नवीनीकरण कब किया गया? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त के द्वारा प्रदेश में गत पांच वर्ष में क्या-क्या कार्य किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि से किये गये? वर्षवार किये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन (जे एन एन यू आर एम) संस्था नहीं है, अपितु शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार की उक्त योजना के अन्तर्गत चार सब-मिशन्स [अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेन्स (यू आई जी), बेसिक सर्विसेज टू अरबन पूअर (बी एस यू पी), इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डवलपमेन्ट प्रोग्राम (आई एच एस डी पी), अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम आफ स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स (यू आई डी एस एस एम टी) के तहत प्रदेश भर में कार्य करवाये जा रहे हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन (जे एन एन यू आर एम) कोई संस्था नही है। इसलिये पदाधिकारियों व सदस्यों का नवीनीकरण का प्रावधान नही है।

(3) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन (जे एन एन यू आर एम) के तहत करवाये जा रहे कार्यो का विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तारानगर (चूरू) की नहरों व वितरिकाओं की सफाई की योजना

361. श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र तारानगर, जिला चूरू में नहरों व वितरिकाओं की सफाई अन्तिम बार कब

(श्री जय नारायण पूनिया)

की गई थी? क्या इन वितरिकाओं के द्वारा सम्पूर्ण आरक्षित जल का प्रवाह किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान के तारानगर क्षेत्र की नहरों व वितरिकाओं की सफाई का कार्य चल रहा है? यदि हां, तो इस पर गत वित्तीय वर्ष में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या तारानगर विधान सभा क्षेत्र की नहरों व वितरिकाओं की सफाई नहीं होने से अन्तिम छोर तक काश्तकारों को जल उपलब्ध नहीं हो रहा है?

(4) उक्त नहर व वितरिकाओं की सफाई नहीं करवाये जाने के क्या कारण है? क्या सरकार नहर व वितरिकाओं की सफाई कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल परियोजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र तारानगर, जिला चूरू में नहरों व वितरिकाओं की सफाई इसी वित्तीय वर्ष 2014-15 में की गई है। इन वितरिकाओं एवं नहरों में रेगुलेशन कार्यक्रम अनुसार जल प्रवाह किया जा रहा है ।

(2) जी हां। वर्तमान में तारानगर क्षेत्र की केवल मात्र साहवा वितरिका में विभागीय लोंग बूम मशीन द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य चल रहा है। विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष में कोई राशि खर्च नहीं की गई ।

(3) तारानगर क्षेत्र की सभी नहरों के अंतिम छोर (टेल) तक काश्तकारों को जल उपलब्ध करवाया जा रहा है ।

(4) नहर व वितरिकाओं की सफाई करवाई गई है ।

पाली जिले के क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत

362. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में कौन-कौन से स्थान पर कौन-कौन से बांध, कितनी कितनी जल क्षमता के हैं तथा किस-किस बांध के कमांड क्षेत्र में कितनी कितनी बीघा भूमि है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांधों के रख-रखाव एवं सिंचाई व्यवस्था हेतु किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद भरे हुए हैं और कौन-कौन से पद कितने-कितने समय से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(3) उक्त बांधों एवं इनकी नहरों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई?

(4) उक्त जिले के कौन-कौन से बांध कितने-कितने समय से क्षतिग्रस्त हैं एवं इनकी मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि व्यय होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में जल संसाधन विभाग के अधीन 53 बाधों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर तथा पंयाचत राज को हस्तान्तरित 58 बांधों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जल संसाधन विभाग के अधीन 53 बांधों के रखरखाव एवं सिंचाई हेतु स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) जल संसाधन विभाग द्वारा 53 बांधों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु गत तीन वर्षों में क्रमश: 29.00 लाख, 110.00 लाख एवं 44.00 लाख राशि दी गई।

(4) जिले में घारिया बांध वर्ष 2006 से क्षतिग्रस्त है। बांध के पुन: निर्माण की अनुमानित लागत राशि रुपये 3765.30 लाख है।

(5) घारिया बांध से सम्बन्धित पी.ए.सी. पैरा के अंतिम निस्तारण पश्चात् कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुसार कार्य, संसाधन उपलब्धतानुसार 3 वर्ष में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा की सिंचाई परियोजनाएं

363. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में कौन-कौन सी मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं एवं बांध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं एवं बांधों की मरम्मत का कार्य किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो किन-किन सिंचाई परियोजनाओं एवं बांधों का मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है और सरकार द्वारा कब तक मरम्मत कार्य को करवा दिया जायेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई मेजर एवं माइनर कैनाल हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व उक्त में से कौन-कौनसी कैनाल का मरम्मत कार्य करवाया जाना आवश्यक है तथा मरम्मत कार्य कब तक करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा एवं विराटनगर में स्थित मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) एवं विराटनगर में विभागीय बांध जवानपुरा धाबाई, शिखरगट्टा, नीझर एवं धूलकोट पर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य आवश्यक होने से स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। इन कार्यों को संसाधन उपलब्धतानुसार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) एवं विराटनगर में स्थित मध्यम एवं माइनर कैनाल का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। शाहपुरा (जयपुर) एवं विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित नहरों में से जवानपुरा धाबाई, शिखरगट्टा एवं मामतोरी नहरों पर आवश्यकतानुसार मरम्मत का कार्य स्वीकृत है, जिसे संसाधन उपलब्धतानुसार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-अ

विभागीय बांधों की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र	कुल भराव क्षमता (मि. घनफुट)	सी.सी.ए. (हेक्टर में)
1	जवानपुरा धाबाई बांध लघु सिंचाई परि.	शाहपुरा	116.00	596.00

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र	कुल भराव क्षमता (मि. घनफुट)	सी.सी.ए. (हेक्टर में)
2	नीझर बांध लघु सिंचाई परियोजना	शाहपुरा	26.50	205.00
3	मामटोरी बांध लघु सिंचाई परियोजना	शाहपुरा	20.77	133.00
4	शिखरगट्टा बांध लघु सिंचाई परियोजना	शाहपुरा	131.70	113.00
5	जमदेई बांध लघु सिंचाई परियोजना	शाहपुरा	96.75	581.76
6	छितौली मध्यम सिंचाई परियोजना	विराट नगर	861.00	2023.00
7	धूलकोट लघु सिंचाई परियोजना	विराट नगर	35.98	197.00
	पंचायतराज विभाग को स्थानान्तरित बांधों की सूची			
1	रघुनाथपुरा	शाहपुरा	13.30	68.79
2	बाडी-जोडी	शाहपुरा	13.24	50.00
3	भाभरू	शाहपुरा	32.87	259.00
4	दांतूडी	शाहपुरा	21.20	79.00
5	बैराठ	विराट नगर	42.51	176.00
6	पाण्डो	विराट नगर	15.83	176.00
7	जग्गा जी	विराट नगर	10.00	83.00
8	टंकू	विराट नगर	23.82	110.00
9	बागावास	विराट नगर	6.00	44.00
10	नीमली	विराट नगर	8.30	88.00
11	मामटोरी	विराट नगर	6.31	92.00
12	रामपुरा आंतेला	विराट नगर	11.04	61.00
13	सिक्कावाली	विराट नगर	8.25	68.00
14	बैरी	विराट नगर	31.68	263.00

परिशिष्ट-ब

क्र.सं.	तहसील का नाम	बांध का नाम	सीसीए (हैक्टर में)	कैपेसिटी (एम.सी.एफ.टी.)	नहर का नाम	मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि		विशेष विवरण
						बांध के लिए (लाखों में)	नहर के लिए (लाखों में)	
1	शाहपुरा	जवानपुरा धाबाई	596.26	116.00	जवानपुरा मैन कैनाल (Discharge=22.28 cusec) खातोलाई माईनर	49.76	24.30	मामटोरी बांध एवं नहर के मरम्मत का कार्य MIW योजना में एवं शेष समस्त कार्य नरेगा मद में वर्ष 2015-16 में सम्पूर्ण कर दिये जायेंगे।
		मामटोरी	67.61	20.772	मामटोरी मैन कैनाल (Discharge=0.0169 cumec)	147.38 (बांध एवं नहर हेतु)		
		शिखर गट्टा	195.07	131.70	शिखर गट्टा (Discharge=0.32 cumec) खातोलाई माईनर	48.18	33.60	
		नीझर	205.00	26.50	नीझर कैनाल (Discharge=7.73 cusec)	45.74	-	
		जमदैई	586.76	96.75	जमदैई मैन कैनाल (Discharge=9.02 cusec)	-	-	

क्र.सं.	तहसील का नाम	बांध का नाम	सीसीए (हैक्टर में)	कैपेसिटी (एम.सी.एफ.टी.)	नहर का नाम	मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि		विशेष विवरण
						बांध के लिए (लाखों में)	नहर के लिए (लाखों में)	
2.	विराट नगर	धूलकोट	197.00	35.98	धूलकोट मैन कैनाल (Discharge=12.20 cusec)	46.03	-	मामटोरी बांध एवं नहर के मरम्मत का कार्य MIW योजना में एवं शेष समस्त कार्य नरेगा मद में वर्ष 2015-16 में सम्पूर्ण कर दिये जायेंगे।
		छितौली	2280.00	861.00	छितौली मैन कैनाल (Discharge=106 cusec) माईनर नं. 1 (Discharge=12.52 cusec)	-	-	

अलवर जिले में पर्यटन विकास हेतु व्यय राशि

364. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

अलवर जिले में गत दो वर्षों में पर्यटन विकास हेतु किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन विकास हेतु गत दो वर्षों में अलवर जिले में राज्य योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

राज्य योजनान्तर्गत गत दो वर्षों में अलवर जिले में पर्यटन विकास हेतु कराये गये कार्यों एवं व्यय का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	व्यय राशि (लाख में)	कार्यों का विवरण	विशेष विवरण
1.	अलवर हेरिटेज वाक विकसित करना	2012-13	48.07	जगन्नाथ जी मंदिर, भौम्या गेट, सिटी पैलेस गेट, कम्पाउन्ड वाल, त्रिपोलिया गेट की मरम्मत व जीर्णोद्धार कार्य, बैंचेज, सीढ़ियों की मरम्मत, पीने के पानी की व्यवस्था व काबल स्टोन व फ्लोरिंग व आदि कार्य	कार्य पूर्ण।
2.	कृष्णकुंड-अलवर	2012-13	27.79	कृष्णकुंड-अलवर का सौन्दर्यकरण एवं विकास कुण्ड की सफाई, टायलेट, यात्रिका शेड, फ्लोरिंग सोलर लाइट्स, साइनेजेज आदि कार्य	कार्य पूर्ण।

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	व्यय राशि (लाख में)	कार्यों का विवरण	विशेष विवरण
3.	चन्द्रप्रभु जैन मंदिर तिजारा-अलवर	2012-13	42.95	चन्द्रप्रभु जैन मंदिर तिजारा-अलवर का सौन्दर्यकरण एवं विकास साइनेजेज आदि कार्य	कार्य पूर्ण।

परिशिष्ट-ब

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत गत दो वर्षों में अलवर जिले में पर्यटन विकास हेतु कराये गये कार्यों एवं व्यय का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	व्यय राशि (लाख में)	विशेष विवरण
1.	बालाकला एवं कांकवाडी किले का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य	2012-13	57.38	कार्य पूर्ण।
2.	मूसी रानी की छतरी, अलवर में विकास कार्य	2014-15	15.10	कार्य प्रगति पर है।
3.	कृष्ण कुण्ड, अलवर में विकास कार्य	2014-15	18.65	कार्य प्रगति पर है।
4.	सिलीसेढ, अलवर में विकास कार्य	2014-15	0.05	कार्य प्रगति पर है।
5.	जयसमन्द, अलवर में विकास कार्य	2014-15	13.58	कार्य प्रगति पर है।

फतेहपुर शेखावाटी के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास

365. **श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फतेहपुर शेखावाटी के ऐतिहासिक एवं रहस्यमयी 400 साल पुरानी संवत् 1671 में बनायी गयी नबाबी बावड़ी के

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

रास्ते में वर्तमान में अवैध अतिक्रमण व अन्य कूड़ा-करकट भरे होने से इसमें आने वाले बरसाती पानी का रास्ता अवरुद्ध हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सफाई व जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त बावड़ी वर्तमान में पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थिति में है?

(3) धोबियों का कुआं के नाम से प्रसिद्ध कुआं जो मण्डावा बस स्टैण्ड़ पर स्थित है, का जीर्णोद्वार सरकार द्वारा कब तक करवाये जाने का विचार है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त ऐतिहासिक सम्पदाएं अपना मूल स्वरूप खोती जा रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके संरक्षण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा फतेहपुर की ऐतिहासिक बावड़ी व कुओं के जीर्णोद्धार की पूर्व में कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फतेहपुर शेखावाटी की नवाबी बावड़ी राज्य अथवा केन्द्र सरकार का संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है ।

इस बावडी में वर्तमान में अवैध अतिक्रमण नहीं है । बावड़ी कूडा करकट से भरी हुई होने के कारण बरसाती पानी का रास्ता अवरूद्ध हो गया है।

इस बावड़ी की सफाई आदि का कार्य जिला प्रशासन एवं नगर पालिका, फतेहपुर द्वारा कराया जाना अपेक्षित है ।

(2) जी नहीं ।

(3) धोबियों का कुआं (फतेहपुर) राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित नहीं होने के कारण इसके जीर्णोद्धार की विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(4) फतेहपुर स्थित नवाबी बावड़ी व धोबियों का कुआं विभाग द्वारा संरक्षित घोषित नहीं होने के कारण इनके संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य की कोई योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

(5) जी नहीं । इस बावड़ी व कुएं के जीर्णोद्धार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गई है ।

बस्सी में संचालित निजी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय

366. **श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने निजी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं? उक्त विद्यालय कब-कब से संचालित हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राजा धोक टोल प्लाजा के पास एक नया विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किस नाम से? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त विद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त विद्यालयों को प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार की जाने वाली समस्त आवश्यक कार्यवाहियों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का वर्षवार संचालित होने का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजा धोक टोल प्लाजा के पास निर्मित चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीगंगानगर द्वारा ब्लूमिंग डेल्स गर्ल्स इंटरनेशनल नाम से स्कूल खोला गया है।

(3) गैर सरकारी विद्यालय खोलने के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(4) उक्त विद्यालयों को प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार की जाने वाली समस्त आवश्यक कार्यवाहियों का विवरण परिशिष्ट-ग व परिशिष्ट-घ तथा परिशिष्ट-च पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

पाली जिले के राजीव गांधी पाठशालाओं के भवनों को किराये पर देने की योजना

367. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजीव गांधी पाठशालाओं के संचालन हेतु गांव/ढाणियों में विद्यालयों हेतु भवन का निर्माण करवाया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले के जिन गांवों/ढाणियों में राजीव गांधी पाठशालाओं के संचालन हेतु भवन निर्माण कराये गये, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बंद पड़े विद्यालय भवनों को निजी विद्यालयों या अन्य सरकारी योजनाओं हेतु कार्य करने के लिए किराये पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2002-03 तक कुल 23,192 राजीव गांधी पाठशालाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनके भवनों का निर्माण पंचायती राज विभाग/जिला प्राथमिक कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) द्वारा कराया गया।

(2) पाली जिले में राजीव गांधी पाठशालाओं के संचालन हेतु भवन निर्माण की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त विद्यालय भवनों को निजी विद्यालयों या अन्य सरकारी योजना हेतु कार्य करने के लिये किराये पर देने के सम्बन्ध में वर्तमान में राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाने के मानदण्ड

368. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) शैक्षणिक सत्र 2013-14 में प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्र बनाये गये तथा वर्तमान में दौसा जिले में सभी परीक्षा केन्द्रों के नाम, बैठक क्षमता तथा केन्द्र पर प्रविष्ठ विद्यालय की केन्द्र से कितनी दूरी है तथा उक्त परीक्षा केन्द्र किसकी अनुशंसा पर बनाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र निर्धारण के मानदण्ड की नियमावली परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(2) 1) शैक्षणिक सत्र 2013-14 में प्रदेश में 5,210 परीक्षा केन्द्र थे।

2) वर्तमान में दौसा जिले के परीक्षा केन्द्रों के नाम, बैठक क्षमता, पंजीकृत छात्र संख्या की केन्द्र सूची परिशिष्ट-'2' पर संलग्न है। केन्द्र पर प्रविष्ठ विद्यालय से केन्द्र की दूरी का वास्तविक आकलन बोर्ड के पास नहीं है।

3) दौसा जिले में सभी विद्यालय के परीक्षा केन्द्र अधिकतम 15 कि.मी. की दूरी के अन्तर्गत रखने का प्रयास किया गया है। परीक्षा केन्द्र बोर्ड द्वारा केन्द्र समिति की बैठक आयोजित कर, जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर बनाये जाते हैं।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

करौली जिले में देवनारायण योजनान्तर्गत छात्रावास की स्थापना

369. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत चार वर्षों में ग्राम पंचायत ढाड़ा, ग्राम ताली, जिला करौली में देवनारायण योजनान्तर्गत स्कूल भवन व छात्रावास खोले जाने हेतु घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब तथा उस पर कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा क्या उसका कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य अभी तक भी प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यों के लिए भूमि का आबंटन भी हो चुका है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गत चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा देवनारायण योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत ढाड़ा, ग्राम ताली, जिला करौली में स्कूल भवन व छात्रावास खोले जाने की घोषणा नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। प्रश्न के खण्ड-1 के अनुसार।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। प्रश्न के खण्ड-1 के अनुसार।

बांसवाड़ा जिले में संचालित विद्यालयों के क्षतिग्रस्त कक्षा कक्षों की मरम्मत

370. **श्री नवनीत लाल** (घाटोल) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में संचालित विद्यालयों के कक्षा कक्ष क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें दुरुस्त कराने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेनवासा व माध्यमिक विद्यालय, ईसरवाला के क्षतिग्रस्त कक्षा कक्षों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त कक्षा कक्षों का मरम्मत कार्य समय-समय पर करवाया जाता है एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं सर्व शिक्षा अभियान की आगामी सत्र 2015-16 की कार्य योजना में प्रस्ताव भारत सरकार से स्वीकृत होने पर निर्धारित लक्ष्यों की सीमा में मरम्मत कार्य कराने का विचार रखती है।

(2) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेनवासा में मरम्मत का कार्य राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के वर्ष 2015-16 के प्लान में प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर मरम्मत कार्य करवाया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के अन्तर्गत ईसरवाला में कोई राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं है, अपितु राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ईसरवाला के 7 कक्षा कक्षों में से 2 कक्षा कक्ष मरम्मत योग्य हैं। इन मरम्मत योग्य कक्षा कक्षों के प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्ष की कार्य योजना वर्ष 2015-16 में भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अनुमोदन उपरान्त उक्त विद्यालय के कक्षा कक्षों की मरम्मत कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

टैट में सफल परीक्षार्थियों को नियुक्ति देने की कार्य योजना

371. **श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा टैट में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की कट आफ व उनका परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जायेगा तथा सफल परीक्षार्थियों को कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी?

(2) सरकार द्वारा अब तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका व सुप्रीम कोर्ट में दायर एस.एल.पी. के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तृतीय श्रेणी (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय) अध्यापक सीधी भर्ती 2013 में टैट में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम दिनांक 31.12.2014 को एवं कट-आफ दिनांक 24.2.2015 को जारी की जा चुकी है। जिला परिषदों द्वारा अतिशीघ्र भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी।

(2) तृतीय श्रेणी (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय) अध्यापक सीधी भर्ती 2013 का परीक्षा परिणाम दिनांक 31.12.2014 को जारी किया जा चुका है।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन एस एल पी संख्या 23508-23513/2013 को विथड्रा करने के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त एस एल पी को विथड्रा करने के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एप्लिकेशन प्रस्तुत की गई है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के मध्यनजर विथड्रा कर ली गई है। अब उक्त एस.एल.पी. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेरिट पर निर्णित की जावेगी।

बाड़मेर जिले में उपनिदेशक के रिक्त पद पर पदस्थापन

372. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मेवाराम जैन)

(1) पंचायत समिति बाड़मेर की पंचायतों को कितने ब्लाकों में बांटा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत समिति, तहसील, विधान सभा क्षेत्र, इत्यादि का मुख्यालय एक ही स्थान पर करने के लिए पंचायत समिति बाड़मेर की समस्त ग्राम पंचायतों को ब्लाक बाड़मेर के अन्तर्गत एक ही स्थान पर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उप निदेशक, बाड़मेर का पद कितने वर्षों से रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार लम्बे समय से महिलाओं से जुडे ऐसे महत्वपूर्ण रिक्त पद पर किसी सक्षम अधिकारी को नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत ब्लाकवार पंचायत समिति का विवरण निम्नानुसार है-

पंचायत समिति	ब्लाक का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
बाड़मेर	बाड़मेर ग्रामीण	27
	बायतू	09
	सिणधरी	05
	नोखडा	10
	योग	51

(2) जी नही। वर्तमान परियोजनाओं के क्षेत्राधिकार में बदलाव हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति उपरान्त ही किये जाते हैं। वर्तमान में इन परियोजनाओं के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

(3) उप निदेशक, बाड़मेर का पद दिनांक 03-07-2008 से रिक्त है।

(4) जी हां। उप निदेशक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्त पद को पदोन्नति उपरान्त भरा जा सकेगा।

अजमेर जिले में बाल विकास परियोजना अधिकारी व महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पद

373. **श्रीमती सुशील कंवर** (मसूदा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सी.डी.पी.ओ. व एल.एस. के कितने पद स्वीकृत हैं कितने कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में कार्यरत सी.डी.पी.ओ. और एल.एस. को अपने कार्य के अलावा 2-3 अन्य कार्यक्षेत्र का प्रभार दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य सरकारी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखकर या गैर-सरकारी संस्थानों के माध्यम से कार्य कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 304 पद स्वीकृत हैं जिनमें से प्रदेश में 65 बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यरत हैं एवं 239 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

महिला पर्यवेक्षक के 1,760 एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षक के 437 पद, कुल 2,197 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जिलेवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अजमेर जिले में कार्यरत सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अपने कार्य के अलावा 2-3 अन्य कार्यक्षेत्र का प्रभार नहीं दिया गया है।

अजमेर जिले की मसूदा परियोजना के मसूदा सेक्टर में कार्यरत महिला पर्यवेक्षक को शेष 6 सेक्टरों का अतिरिक्त प्रभार एवं जवाजा में परियोजना के राजियाबाद सेक्टर में कार्यरत महिला पर्यवेक्षक को शेष 6 सेक्टरों का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

अन्य सरकारी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर एवं गैर-सरकारी संस्थानों के माध्यम से कार्य कराने हेतु विभागीय सेवा नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण लगाया जाना सम्भव नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 2015)

शुभाशीष ग्रुप हाउसिंग की आवासीय योजना

149. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शुभाशीष ग्रुप हाउसिंग योजना द्वारा जयसिंहपुरा रोड भांकरोटा कला, अजमेर रोड तहसील सांगानेर जयपुर जोन द्वितीय में आवासीय योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो उक्त आवासीय योजना हेतु भूमि कब-कब एवं किस-किस खसरा नंबर की खरीदी गई? क्या खरीदी गई भूमि का चुकती भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो कब-कब एवं किस-किसको? चुकती भुगतान एवं इकरारनामे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खरीदी गई भूमि के अधिकांश खसरा नंबरों के सम्बन्ध में अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण की तर्ज पर विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन हैं? यदि हां, तो किस-किस न्यायालय में किस-किस खसरा नंबर के सम्बन्ध में? खसरा नंबर एवं न्यायालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम चिमनपुरा एवं भांकरोटा तहसील सांगानेर में शुभाशीष ग्रुप हाउसिंग योजना बनायी गयी थी। उक्त आवासीय योजना जिन खसरा नम्बरों पर बनाई गई थी तथा नामान्तरणों का विवरण मय दिनांक परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

उक्त आवासीय योजना हेतु भूमि कब एवं किस खसरा नंबर की खरीदी गई तथा खरीदी गई भूमि का चुकती भुगतान (विक्रय पत्र) सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त खरीदी गई भूमि के कुछ खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में अब्दुल रहमान बनाम सरकार के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिनका खसरा व ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)